राजस्थान सरकार

टोडारायसिंह मास्टर प्लान

(2010–2031)

(राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया)

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर

नगर नियोजन विभाग

राजस्थान सरकार

आभार

टोडारायसिंह के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में टोडारायसिंह के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होने अपना अमूल्य समय इस ऐतिहासिक, शैक्षणिक एवं प्रगतिशील नगरी के सुनियोजित विकास कार्य में प्रदान किया है।

संभागीय आयुक्त, अजमेर जिला कलक्टर, टोंक, नगर पालिका, टोडारायसिंह का विशेष आभारी हूँ, जिन्होने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय–समय पर निरन्तर सहयोग प्रदान किया है। ए.एन.बी. कन्सलटेन्ट, जयपुर द्वारा मास्टर प्लान तैयार करने मे मुख्य भूमिका रही है, उनका भी मै आभारी हूँ।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरो पर हुए सभी सर्वेक्षणो तथा अन्य सूचनाओं को एकत्रित करना आवश्यक होता है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकार एवं गैर सरकार कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, विद्युत वितरण निगम, उद्योग, चिकित्सा, जल–प्रदाय, शिक्षा, वन, कृषि उपज मण्डी इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थानों ने सतत् सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ एवं आशा है कि भविष्य में भी इस नगर के मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगें।

उक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी धन्यवाद के पात्र है।

(बी. डी. जाट)
वरिष्ठ नगर नियोजक,
अजमेर जोन, अजमेर।

योजना–दल

कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर

1.	श्री बी. डी. जाट	:	वरिष्ठ नगर नियोजक।
2	श्री आर.एल. टुकलिया	:	पूर्व वरिष्ठ नगर नियोजक।
3.	श्री श्रीगोपाल चित्तौड़िया	:	उप नगर नियोजक।
4.	श्रीमती प्रीति गुप्ता	:	सहायक नगर नियोजक।
5.	श्रीमतीशिखा विजय	:	सहायक नगर नियोजक, टोंक
6.	श्री मूलचन्द डीडवानियाँ	:	निजी सहायक।
7.	श्री हरिशंकर जाजू	:	कनिष्ठ लेखाकार।
8.	श्री शिवसिंह राजपूत	:	अन्वेषक ग्रेड–II
9.	श्री कानाराम जाखड़	:	अन्वेषक ग्रेड–II
10.	श्री श्रवण कुमार	:	वरिष्ठ प्रारूपकार।
11.	श्री रूपाराम चौधरी	:	अनुरेखक।
12.	श्री राजेश वर्मा	:	कनिष्ठ लिपिक।

योजना–दल

एएनबी कन्सलटेन्ट, जयपुर (राजस्थान)

1.	श्री ए.एन. भार्गव	:	चीफ कन्सलटेन्ट
2.	श्री मोहन लाल शर्मा	:	नगर नियोजक
3.	श्री भगवान सहाय प्रजापत	:	ओटोकेड ओपरेटर
4.	श्री विक्रम सिंह लबाणा	:	कम्प्यूटर ओपरेटर

विषय–सूची

अध्याय क्रम				विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
				आभार	i
				योजना दल	ii
				विषय सूची	iii
				तालिका–सूची	vi
1.0				**परिचय**	1
2.0				**विद्यमान विशेषताएं**	4
	2.1			भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	4
	2.2			क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य	4
	2.3			ऐतिहासिक	5
	2.4			जनांकिकी	5
	2.5			व्यावसायिक संरचना	7
	2.6			विद्यमान भू–उपयोग	8
		2.6 (1)		आवासीय	9
			2.6 (1) अ	आवासन	9
			2.6 (1) ब	कच्ची बस्तियां	9
		2.6 (2)		वाणिज्यिक	9
		2.6 (3)		औद्योगिक	10
		2.6 (4)		राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय	10
		2.6 (5)		आमोद–प्रमोद	11
		2.6 (6)		सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	11
			2.6 (6) अ	शैक्षणिक सुविधाएं	12
			2.6 (6) ब	चिकित्सा सुविधाएं	12
			2.6 (6) स	सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल	13
			2.6 (6) द	अन्य सामुदयिक सुविधाएं	13
			2.6 (6)य	जनोपयोगी सुविधाएं	14
			2.6 (6)य (i)	जलापूर्ति	14
			2.6 (6)य (ii)	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबधंन	14

		2.6 (6)य (iii)	विद्युत आपूर्ति	15
		2.6 (6)य (iv)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	15
	2.6 (7)		परिसंचरण	15
		2.6 (7) अ.	यातायात व्यवस्था	15
		2.6 (7) ब.	बस एवं ट्रक टर्मिनल	16
		2.6 (7) स.	रेल सेवा	16
3.0			**नियोजन की संकल्पना**	17
	3.1		नियोजन की नीतियां	18
	3.2		नियोजन के सिद्धान्त	18
4.0			**भावी आकार**	21
	4.1		जनांकिकी	21
	4.2		व्यावसायिक संरचना	22
	4.3		नगरीय क्षेत्र	23
	4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	23
	4.5		योजना क्षेत्र	23
			(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र	24
			(ब) स्टेडियम योजना क्षेत्र	25
			(स) परिधि नियंत्रण पट्टी	25
5.0			**भू–उपयोग योजना**	26
	5.1		आवासीय	27
		5.1 (1)	आवासन	27
		5.1 (2)	इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवास	29
	5.2		वाणिज्यिक	29
		5.2 (1)	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां	30
		5.2 (2)	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.)	31
		5.2 (3)	विशिष्ट एवं थोक व्यापार	31
		5.2 (4)	भण्डारण एवं गोदाम	31
	5.3		औद्योगिक	32
	5.4		राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय	32
	5.5		आमोद–प्रमोद	32
	5.6		सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं	33

	5.6 (1)	शैक्षणिक सुविधाएं	33
	5.6 (2)	चिकित्सा सुविधाएं	34
	5.6 (3)	सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक स्थल	34
	5.6 (4)	अन्य सामुदायिक सुविधाएं	35
	5.6 (5)	जनोपयोगी सुविधाएं	35
	5.6 (5) अ	जलापूर्ति	36
	5.6 (5) ब	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबंधन	36
	5.6 (5) स	विद्युत आपूर्ति	37
	5.6 (5)	श्मशान एवं कब्रिस्तान	37
5.7		परिसंचरण	37
	5.7 (1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	37
	5.7 (1) अ	सडकों का सुधार	40
	5.7 (1) ब	प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार	40
	5.7 (1) स	पार्किंग व्यवस्था	41
	5.7 (2)	बस एवं ट्रक टर्मिनल	41
5.8		परिधि नियंत्रण पट्टी	41
5.9		पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	42
6.0		**मास्टर प्लान का क्रियान्वयन**	**43**
6.1		वर्तमान आधार	43
6.2		प्रस्तावित आधार	44
6.3		जन सहभागिता एवं जन सहयोग	45
6.4		भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति	45
6.5		योजना का क्रियान्वयन	46
6.6		उपसंहार	46

परिशिष्ट :–

1	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 (मास्टर प्लान)	47
2	राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम–1962 के उद्धरण	49
3	नगरीय क्षेत्र की अधिसूचना दिनांक 26.07.2010	51
4	राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 19.10.2011	52

तालिका–सूची

क्रम संख्या	तालिका का विवरण	पृष्ठ संख्या
1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, टोडारायसिंह – 1901–2010	6
2	व्यावसायिक संरचना, टोडारायसिंह – 2001–2010	7
3	विद्यमान भू–उपयोग, टोडारायसिंह – 2010	8
4	राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय, टोडारायसिंह – 2010	11
5	शैक्षणिक सुविधाएं, टोडारायसिंह – 2010	12
6	चिकित्सा सुविधाएं, टोडारायसिंह – 2010	13
7	जलापूर्ति, टोडारायसिंह – 2010	14
8	विद्युत आपूर्ति, टोडारायसिंह – 2010	15
9	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति एवं अनुमान, टोडारायसिंह – 1901–2031	21
10	टनुमानित व्यावसायिक संरचना, टोडारायसिंह 2001–2031	22
11	योजना क्षेत्र, टोडारायसिंह – 2031	24
12	प्रस्तावित भू–उपयोग, टोडारायसिंह – 2031	27
13	प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, टोडारायसिंह – 2031	30
14	अनुमानित शैक्षणिक संरचना, टोडारायसिंह – 2031	34
15	प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार , टोडारायसिंह – 2031	38
16	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, टोडारायसिंह	38
17	प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विस्तार, टोडारायसिंह – 2031	40

1
परिचय

टोडारायसिंह टोंक जिले का एक महत्वपूर्ण नगर है। प्रशासनिक दृष्टि से यह नगर उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय है। यह नगर टोंक से 45 कि.मी. दूर दक्षिण–पश्चिम दिशा में स्थित है। राजस्थान की राजधानी जयपुर से इसकी दूरी 125 कि.मी. है। टोडारायसिंह पहाड़ों के समीप एक सुन्दर एवं एतिहासिक नगर है। नगर का समीपीय रेलवे स्टेशन निवाई है जो लगभग 75 कि.मी. उत्तर दिशा में है। नगर से पूर्व में गुजरने वाली मीटरगेज रेलवे लाइन को अब समाप्त किया जा चुका है। बीसलपुर बांध यहां से लगभग 10 कि.मी. दूर दक्षिण दिशा में स्थित है।

टोडारायसिंह एक एतिहासिक कस्बा है जो पूर्व में तकशकपुर, टोडापट्टन, इश्तीपूर आदि नामों से भी जाना जाता था। टोडारायसिंह अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए भी जाना जाता है। इस नगर का नाम टोडारायसिंह, राजा राय सिंह सिसोदिया के नाम से रखा गया है तथा यह जयपुर रियासत का भाग था। यहां दस पौराणिक मन्दिर हैं जिनमें आदिनाथ भगवान का मन्दिर प्रसिद्ध है। यहां के ऐतिहासिक भवन दर्शनीय हैं। इन स्थलों में हाडी रानी की बावड़ी, राजा रायसिंह का महल, ईसर बावड़ी, भूपत बावड़ी, कल्याणजी का मन्दिर, रघुराजजी, गोपानाथ मन्दिर, गोविन्ददेवजी मन्दिर आदि हैं। यह नगर जैन धर्म का प्रसिद्ध केन्द्र है।

वर्ष 1971 में टोडारायसिंह नगर की जनसंख्या लगभग 10833 थी जो सन् 1981 में 28.12 प्रतिशत वृद्धि के साथ 13879 तथा वर्ष 1991 में 27.11 प्रतिशत वृद्धि के साथ 17641 एंव 2001 में 20.27 प्रतिशत वृद्धि के साथ 21217 हो गई। वर्तमान में कस्बे का नगर पालिका की सीमा का क्षेत्र लगभग 1010 एकड़ है।

टोडारायसिंह नगर का शानदार अतीत रहा है परन्तु वर्तमान में कस्बे का विकास अनियोजित एवं अव्यस्थित रूप से हो रहा है पुरानी आबादी क्षेत्र में संकरी सड़कें, अव्यवस्थित चौराहे, अनियोजित वाणिज्यिक स्थलों में वृद्धि होने के साथ–साथ इन क्षेत्रों में आधारभूत जन–सुविधाओं का अभाव होने के कारण यहां अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कस्बे के बाहरी क्षेत्र में कृषि भूमि पर छितराए रूप में विकास हो रहा है जिनमें भी मूलभूत जन सुविधाओं का नितान्त अभाव है

एवं गंदे पानी की निकासी व जलप्रवाह प्रणाली भी पूर्णतया दोषपूर्ण है, जिसके कारण आम जनता के सामान्य जन–जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कस्बे की बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं की कमी को देखते हुए कस्बे के सुनियोजित तरीके से विकास की आवश्यकता है।

उपरोक्त समस्याओं को देखते हुए यह अति आवश्यक है कि कस्बे के लिए एक ऐसी योजना बनायी जाए, जिसमें वर्तमान समस्याओं का समाधान होने के साथ ही युक्ति युक्त रूप से भावी विकास हो सके। इस दृष्टिकोण से कस्बे के लिए एक मास्टर प्लान का बनाया जाना आवश्यक है। इस मन्तव्य से ही राज्य सरकार ने टोडारायसिंह का मास्टर प्लान बनाने का निर्णय लिया है। उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक प.10(153) न.वि.वि./3/2010 जयपुर, दिनांक 26 जुलाई, 2010 को एक अधिसूचना जारी कर टोडारायसिंह राजस्व ग्राम सहित 8 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए टोडारायसिंह नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर को अधिकृत किया गया है। (परिशिष्ट – 3) इसी क्रम में राज्य सरकार ने आवास विकास लिमिटेड, जयपुर के माध्यम से टोडारायसिंह का मास्टर प्लान बनाने के लिये एएनबी कन्सलटेन्ट, जयपुर को कार्यादेश दिया।

मास्टर प्लान बनाने के लिये एएनबी कन्सलटेन्ट, जयपुर द्वारा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, जन सुविधाओं आदि से सम्बन्धित विभिन्न सर्वेक्षण, इन सर्वेक्षणों एवं आंकड़ों का विवेचन तथा मास्टर प्लान के लिए योजना सिद्धान्तों सहित नीतियों का निर्धारण किया गया। मास्टर प्लान का क्षितिज वर्ष 2031 तक की नगर की विभिन्न आवश्यकताओं के मानक स्तरों को दृष्टिगत रखते हुए अनुमान, स्थल निर्धारण आदि किया गया तथा इन सब अध्ययनों के आधार पर टोडारायसिंह कस्बे के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया।

इस मास्टर प्लान का आधार वर्ष 2010 व क्षितिज वर्ष 2031 रखा गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या हेतु विभिन्न नगरीय आवश्यकताओं का निर्धारण कर उनको योजनाबद्ध व समन्वित रूप विकसित करने हेतु एक योजना प्रस्तावित की गई है। मास्टर प्लान के क्षितिज वर्ष 2031 तक कस्बे की जनसंख्या 45000 हो

जाने का अनुमान है। इस अनुमानित जनसंख्या के लिए 1590 एकड़ नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस मास्टर प्लान के प्रारूप में नगर मानचित्र, सामान्यीकृत विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र, भू–उपयोग योजना मानचित्र 2031 एवं अधिसूचित क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाने वाला नगरीय क्षेत्र मानचित्र सम्मिलित किए गए हैं।

कस्बे के भावी विकास के निर्देशन हेतु यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिससे यहां के नागरिकों को स्वच्छ, स्वस्थ एवं आनन्दमय जीवन का वातावरण प्राप्त हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि नगर के नागरिकों को इसे समझने का पर्याप्त अवसर मिले। राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जनता से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित करने हेतु मास्टर प्लान प्रारूप दिनांक 15.03.2011 प्रकाशित किया गया 30 दिवस की समयावधि के लिए नगर पालिका टोडारायसिंह में आम जनता के अवलोकनार्थ एक प्रर्दशनी का आयोजन किया गया। ताकि इस पर शहर के नागरिक स्वतंत्र विचार अभिव्यक्त कर अपने सुझाव प्रस्तुत कर सके। निर्धारित समयावधि में मास्टर प्लान प्रारूप पर कुल 12 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए। प्राप्त सभी आपत्तियों/सुझावों का विस्तृत विश्लेषण एवं मौका निरीक्षण किया गया। जाँच के उपरान्त 8 आपत्ति एवं सुझावों को स्वीकृत एवं 0 को आंशिक रूप से स्वीकृत योग्य पाया गया, जबकि 28 आपत्तियां एवं सुझाव अस्वीकृत तथा 4 आपत्ति/सुझाव पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

इस प्रकार टोडारायसिंह मास्टर प्लान–2031 को अंतिम रूप से तैयार कर उक्त अधिनियम की धारा 6 (1) के प्रावधान के अनुसरण में राज्य सरकार के अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(बी. डी. जाट)
वरिष्ठ नगर नियोजक
अजमेर जोन, अजमेर

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसारण में अधिसूचना क्रमांक : प.10(153)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक 19.10.2011 के द्वारा अधिसूचित कर दिया गया हैं (परिशिष्ट–4)

2
विद्यमान विशेषताएं

टोडारायसिंह टोंक जिले में टोंक से 45 कि.मी. दूरी पर दक्षिण–पश्चिम में स्थित है तथा राजस्थान कि राजधानी जयपुर से लगभग 125 कि.मी. दूरी पर है। पूर्व में यहां मीटर गेज रेलवे लाइन थी परन्तु रेलवे के गेज परिवर्तन के पश्चात् रेलवे लाइन स्थानान्तरित कर दी गई। इस नगर का समीपीय रेलवे स्टेशन निवाई है। टोडारायसिंह एक ऐतिहासिक, उपखण्ड मुख्यालय एवं नगरपालिका कस्बा है। नगर के पृष्ठ क्षेत्र में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। मार्बल एवं अन्य पत्थर के व्यवसाय की भी यहां अच्छी सम्भावनाएं हैं परन्तु आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण यह व्यवसाय विकसित नहीं हो पाया है।

अन्य छोटे कस्बों की भांति टोडारायसिंह का विकास भी अनियोजित रूप से हो रहा है। अन्य कस्बों की तरह यहां भी संकरी सड़कें, अनियोजित व्यावसायिक स्थलों का विकास, मूलभूत सुविधाओं का अभाव, सड़कों की खराब स्थिति, जन सुविधाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होने के कारण आमजन को अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। कस्बे के बाहरी क्षेत्रों में भी विकास हुआ है परन्तु मूलभूत जनसुविधाओं का अभाव है।

2.1 भौतिक स्वरूप एवं जलवायु :–

यह कस्बा $26^0 02'$ उत्तरी अक्षांश और $75^0 29'$ पूर्वी देशान्तर पर समुद्रतल से 430 मीटर (1410 फीट) की ऊंचाई पर स्थित है। कस्बे के दक्षिण दिशा में पहाड़ी क्षेत्र है जिसमें पत्थर बहुतायत में पाया जाता है। कस्बे के पूर्व एवं दक्षिण–पश्चिम दिशा में बनास नदी है तथा यहां की भूमि कृषि योग्य है।

टोडारायसिंह की जलवायु सामान्यतः शुष्क है। ग्रीष्म ऋतु में यहां का अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सैल्सियस तथा शीत ऋतु में न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सैल्सियस तक दर्ज किया गया है। यहां का औसत तापमान 20 डिग्री सैल्सियस है। यहां की औसत वार्षिक वर्षा 684 मिलिमीटर है।

2.2 क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य :–

टोडारायसिंह कस्बे को राष्ट्रीय राजमार्ग–12 से एप्रोच उपलब्ध होती है जो यहां से 20 कि.मी. दूर है। जयपुर से इसकी दूरी 125 कि.मी. है। पूर्व में यहां से

मीटरगेज लाइन गुजरती थी परन्तु गेज परिवर्तन के पश्चात् यहां से रेलवे लाइन स्थानान्तरित कर दी गई है। नगर का समीपस्थ रेलवे स्टेशन निवाई है जो यहां से 75 कि.मी. की दूरी पर है। बीसलपुर बांध यहां से दक्षिण दिशा में 10 कि.मी. की दूरी पर है। पास ही बनास नदी होने के कारण यह क्षेत्र कृषि की पैदावार की दृष्टि से समृद्ध है, यहां पर जीरा, सरसों, तिलहन, मक्का, बाजरा, चना इत्यादि महत्वपूर्ण फसलों की पैदावार होती है।

2.3 ऐतिहासिक :–

टोडारायसिंह एक ऐतिहासिक कस्बा है। यह चौथी शताब्दी में नागाओं द्वारा बसाया गया था। यह चामुन्ड राय की जागीर का भी भाग रह चुका है। टोडारायसिंह के राव रूपल ने मेवाड़ के राणा हमीर की सहायता की जिनके द्वारा यह मीणाओं के अधिकार से छीना गया। तत्पश्चात टोडारायसिंह को दिल्ली के राजा लोदी द्वारा जीता गया तथा यह लोदी राजाओं के पास उस समय तक रहा जब तक यह अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीत नही लिया गया। पन्द्रवीं शताब्दी में टोडारायसिंह गोविन्दराय चालुक्य (सोलंकी) द्वारा जीता गया तथा मेवाड़ के राणा के आधीन आ गया। सोलंकी राजपूतों का उस समय तक अधिकार रहा जब तक अकबर के राज्य में आमेर के प्रमुख द्वारा उस पर अधिकार किया गया। टोडारायसिंह का नाम राजा रायसिंह के नाम पर रखा गया है। राजा रायसिंह मुगल सल्तनत में अपनी पहचान रखते थे तथा उनके द्वारा शाहजहाँ एवं औरंगजेब के समय में उत्तर व दक्षिण में अनेक लड़ाइयां लड़ी गयीं। सन् 1673 ईसवीं में उनकी मृत्यु के पश्चात पुत्र अनूप सिंह राजा बने एवं औरंगजेब द्वारा उनको जागीर दी गई। तत्पश्चात जयपुर के राजा जयसिंह द्वारा टोडारायसिंह पर अधिकार किया गया।

टोडारायसिंह में 1907 में जल–मल बोर्ड की स्थापना की गई जिसका 1933–34 में नाम बदल कर नगर पालिका कर दिया गया। टोडारायसिंह में पंचायत समिति का गठन 1959 में हुआ था।

2.4 जनांकिकी :–

जनसंख्या की दृष्टि से बीसवीं सदी के प्रथम तीन दशकों में कस्बे में अनेक उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। 1941 तक इस कस्बे का विकास सामान्यतः अवरूद्ध सा ही रहा। तत्पश्चात् दो दशक तक भी विकास अत्यन्त धीमी गति से हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात इस कस्बे में विकास की गति पहले की अपेक्षा तीव्र हुई है। पिछली शताब्दी के अन्तिम चार दशकों में इस क्षेत्र में शैक्षणिक

संस्थानों की स्थापना प्रशासनिक संस्थानों की स्थापना एवं कस्बे में अन्य विकास कार्यों के कारण यहां की जनसंख्या वृद्धि दर अच्छी रही है।

वर्ष 1981 की जनगणना अनुसार टोडारायसिंह की जनसंख्या 13879 थी, जो बढ़कर वर्ष 1991 व 2001 में क्रमशः 17641 व 21217 हो गई। वर्ष 2010 में इस नगर की जनसंख्या 27000 होने का आंकलन किया गया है। वर्ष 1971–1981, 81–91 एवं 1991–2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्रमशः 28.12, 27.11 एवं 20.27 प्रतिशत रही जो राज्य की नगरीय जनसंख्या की औसत वृद्धि के आस पास रही है। मीटरगेज रेलवे लाइन की सुविधा उपलब्ध होना, कृषि उत्पादन भलिभांति होना व विकास कार्य होना जनसंख्या वृद्धि के कारण रहे हैं। टोडारायसिंह कस्बे की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को तालिका –1 दर्शाया गया है :–

तालिका–1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, टोडारायसिंह 1901–2010

वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि दर
1901	3847	–	–
1911	4432	585	15.21
1921	4192	(–)240	(–)5.42
1931	4798	606	14.46
1941	5702	904	18.84
1951	7199	1497	26.25
1961	9133	1934	26.86
1971	10833	1700	18.61
1981	13879	3046	28.12
1991	17641	3762	27.11
2001	21217	3576	20.27
2010′	27000	5783	27.26

स्त्रोत :– जनगणना भारत सरकार एवं अनुमान′

2.5 व्यावसायिक संरचना :–

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार टोडारायसिंह कस्बे में कार्यरत व्यक्तियों का सहभागिता अनुपात 32.03 प्रतिशत रहा है। तालिका –2 से स्पष्ट होता है कि वर्णित वर्षों में कृषि व्यापार एवं वाणिज्य व्यावसाय में कार्य करने वालों की सहभागिता अधिक रही। अतः टोडारायसिंह कस्बे का प्रमुख आर्थिक आधार कृषि एवं व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियां हैं तथा अपने पृष्ठ क्षेत्र (Hinterland) का प्रमुख वाणिज्यिक केन्द्र है। वर्ष 2010 में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 30 प्रतिशत कृषि सम्बन्धी गतिविधियों में रहा है तथा समान अनुपात व्यापार एवं वाणिज्य में कार्यरत रहा है। इस वर्ष में अन्य सेवाओं में 1630 व्यक्ति कार्यरत हैं जो कि कुल काम करने वालों का 18.42 प्रतिशत है। टोडारायसिंह में वाणिज्य एवं व्यापार में काम करने वालों की संख्या वर्ष 2001 में 2014 थी। ऐसा आंकलन है कि 2010 में व्यापार एवं वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 2673 है जो कुल कार्यशील जनसंख्या का 30.22 प्रतिशत है। तालिका– 2 में वर्ष 2001 तथा 2010 की व्यावसायिक सरचंना को दर्शाया गया है:–

तालिका–2

व्यावसायिक संरचना, टोडारायसिंह 2001–2010

क्र. सं.	व्यवसाय	2001		2010'	
		कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्ति	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	2380	35.02	2673	30.22
2.	उद्योग	355	5.22	624	7.05
3.	निर्माण	514	7.56	356	4.02
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	2014	29.64	2673	30.22
5.	यातायात एवं संचार	652	9.60	891	10.07
6.	अन्य सेवाएं	881	12.96	1630	18.42
योग		**6796**	**100.00**	**8847**	**100.00**
सहभागिता अनुपात		**32.03**		**32.77**	
जनसंख्या		**21217**		**27000**	

स्त्रोत :– जनसंख्या जनगणना, भारत सरकार एवं आंकलन'

2.6 विद्यमान भू–उपयोग :–

टोडारायसिंह कस्बे में आधार वर्ष 2010 में नगरीयकृत क्षेत्र के अन्तर्गत 638 एकड़ भूमि स्थित है। इसमें से 521 एकड़ भूमि विकसित क्षेत्र के रूप है जो नगरीयकृत क्षेत्र का लगभग 81.66 प्रतिशत है। यहां पर कुल विकसित क्षेत्र की आधे से अधिक भूमि आवासीय उपयेाग के अन्तर्गत है तथा शेष भूमि अन्य भू उपयोगों के अन्तर्गत आती है। वर्तमान में कुल 521 एकड़ विकसित क्षेत्र में से 306 एकड़ भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग मे ली जा रही है जो विकसित क्षेत्र का 58.73 प्रतिशत है। आवासीय के पश्चात् अधिक भूमि का उपयोग परिसंचरण के अन्तर्गत कुल 100 एकड़ भूमि एवं सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयेाग के अन्तर्गत कुल 47 एकड़ भूमि हो रहा है। वाणिज्यिक, आमोद–प्रमोद एवं औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत क्रमशः31,17 एवं 10 एकड़ भूमि का उपयोग हो रहा है। तालिका–3 में वर्ष 2010 में विभिन्न भू–उपयोगों के अन्तर्गत आने वाली भूमि को दर्शाया गया है।

तालिका – 3

विद्यमान भू–उपयोग, टोडारायसिंह – 2010

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	306	58.73	47.96
2.	वाणिज्यिक	31	5.95	4.86
3.	औद्योगिक	10	1.92	1.57
4.	राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय	10	1.92	1.57
5.	आमोद–प्रमोद	17	3.26	2.66
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	47	9.02	7.37
7.	परिसंचरण	100	19.20	15.67
	कुल विकसित क्षेत्र	**521**	**100.00**	**81.66**
8.	जलाशय	2	–	0.31
9.	कृषि एवं रिक्त भूमि	115	–	18.03
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	**638**	**–**	**100.00**

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा किया गया सर्वेक्षण।

2.6(1) आवासीय :–

2.6(1) (अ) आवासन :–

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार कस्बे की कुल जनसंख्या 17641 थी जो 2001 में बढ़कर 21217 हो गई तथा वर्ष 2010 में 27000 होने का अनुमान है। वर्ष 2010 में आवासीय उपयोग के अन्तर्गत 306 एकड़ भूमि रही है जो विकसित क्षेत्र का 58.73 प्रतिशत तथा नगरीयकृत क्षेत्र का 47.96 प्रतिशत है। वर्ष 2010 में आवासीय घनत्व 88 व्यक्ति प्रति एकड़ है।

टोडारायसिंह कस्बे के पुरानी आबादी में अधिकांशतः मकानात पक्के बने हुए हैं जो एक से तीन मंजिल तक है। पुरानी हवेली सहित जैन मौहल्ला, नागरान मौहल्ला, सलावटा इत्यादि मौहल्ला इसी क्षेत्र में स्थित है। प्राचीन किला भी पुरानी आबादी क्षेत्र में स्थित है। कस्बे के दक्षिण में पहाड़ स्थित होने के कारण इस दिशा में विकास सम्भव नहीं है परन्तु पश्चिम दिशा में सुभाष कॉलोनी, बीसलपुर कॉलोनी विकसित की गई। उत्तर दिशा में धाकड़ कॉलोनी विकसित की गई है। पूर्व दिशा में भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण विकास अवरूद्ध हुआ। दक्षिण पूर्व दिशा में कुछ स्थानों पर विकास हो रहा है।

2.6(1) (ब) कच्ची बस्तियाँ :–

नगर पालिका क्षेत्र में अधिघोषित कच्ची बस्ती नहीं है परन्तु कुछ स्थानों पर सुविधाओं का अत्यन्त अभाव होने के कारण कच्ची बस्तीयों की स्थिति बन गई है। इन क्षेत्रों में नगरपालिका द्वारा मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध करवायी जानी अपेक्षित है।

2.6(2) वाणिज्यिक :–

टोडारायसिंह कस्बा उपखण्ड मुख्यालय होने तथा कृषि आधारित क्षेत्र होने के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों का केन्द्र है। यद्यपि रेलवे लाइन समाप्त होने के पश्चात् वाणिज्यिक गतिविधियों में तेजी से विकास नहीं हुआ है परन्तु आस पास के क्षेत्र में कृषि उपजों की पैदावार अच्छी होने के कारण वाणिज्यिक गतिविधियों में सुधार हो रहा है। पिछले दशकों में कार्यशील जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। पुराना शहर, तेजाजी चौक के आस पास का क्षेत्र, बावड़ी रोड के पश्चिम का क्षेत्र इत्यादि यहां के मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियों के केन्द्र हैं।

नये वाणिज्यिक स्थल केकड़ी रोड, बीसलपुर बांध रोड, सालगियावास रोड एवं बावड़ी रोड पर विकसित हो रहे हैं। कस्बे के कुल 521 एकड़ विकसित क्षेत्र में से 31 एकड़ भूमि वाणिज्यिक भू उपयोग के अन्तर्गत है जो विकसित क्षेत्र का 5.95 प्रतिशत है। कृषि जिन्सों का थोक एवं खुदरा व्यापार विकसित कृषि मण्डी के प्रांगण में होता है जो बावड़ी रोड पर स्थित है। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मुख्यतः जनरल स्टोर, कपड़े, परचून, इलेक्ट्रिक तथा इलेक्ट्रोनिक्स आदि प्रमुख हैं।

2.6 (3) औद्योगिक :–

टोडारायसिंह कस्बे का मुख्य व्यवसाय कृषि है परन्तु आसपास के क्षेत्रों में पत्थर उपलब्ध होने के कारण पत्थर, (क्रेशर/कटिंग) उद्योग स्थापित होने की संभावनाएं प्रबल हैं। रेलवे लाइन समाप्त होने के कारण एवं मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं होने के कारण वर्तमान में यह उद्योग विकसित नहीं हो सका है। यहां गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, हैन्डीक्राफ्ट उद्योग इत्यादि आवासीय क्षेत्रों में ही स्थापित हैं। सर्वेक्षण अनुसार इन उद्योगों में लगभग 10 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है। जिसको मानचित्र में दर्शाया जाना संभव नहीं परन्तु 10 एकड़ क्षेत्र को भू–उपयोग गणना में सम्मिलित किया गया है।

वर्ष 2010 के सर्वेक्षण के अनुसार यहां लद्यु उद्योग संचालित नहीं है पूर्व में संचालित उद्योग लगभग बन्द हो चुके हैं।

2.6(4) राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय :–

कस्बे के उपखण्ड एवं तहसील मुख्यालय व नगर पालिका कार्यालय होने से राजकीय एवं अन्य सम्बन्धित क्रियाकलापों ने नगर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सर्वेक्षण के अनुसार टोडारायसिंह में 22 राजकीय कार्यालय हैं जिनमें फील्ड कर्मचारी सम्मिलित करते हुए कुल 628 कर्मचारी नियोजित हैं। कस्बे में 2 केन्द्र सरकार के, 16 राज्य सरकार के तथा 4 अर्द्ध राजकीय कार्यालय संचालित हैं। राजकीय कार्यालय लगभग 10 एकड़ भूमि पर स्थित हैं जो कुल विकसित क्षेत्र का 1.92 प्रतिशत है। तालिका – 4 में विद्यमान राजकीय कार्यालय व कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है :–

तालिका– 4

राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय, टोडारायसिंह–2010

क्र. सं.	कार्यालय का प्रकार	कुल कार्यालय	कार्यालय भवन		कर्मचारियों की संख्या		
			सरकारी भवन	किराये के भवन	कार्यालय कर्मचारी	फील्ड कर्मचारी	योग
1.	केन्द्र सरकार	2	1	1	8	8	16
2.	राज्य सरकार	16	15	1	199	351	550
3.	अर्द्ध–राजकीय	4	4	–	22	40	62
योग		**22**	**20**	**2**	**229**	**399**	**628**

स्त्रोत :– सर्वेक्षण

2.6(5) आमोद–प्रमोद :–

किसी भी नगर में उद्यान एंव स्वच्छ पर्यावरण, स्वस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में जो स्थान फेफड़ों का है वही स्थान शहर में उद्यान, खुले स्थान एवं खेल के मैदान का है। टोडारायसिंह में जनसंख्या की दृष्टि से उद्यान, खुले स्थान एवं खेल के मैदान पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं।

किसी भी कस्बे में उद्यान एवं खुले स्थान पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान में नगर पालिका के सामने स्थित विद्यालय के दक्षिण में खेल का मैंदान तथा नगर पालिका के पास खुले स्थान उपलब्ध हैं। केकड़ी रोड पर दीनदयाल वाटिका व खेल का मैदान स्थित है। परन्तु वर्तमान में यहां कोई विकसित स्टेडियम नहीं है।

2.6(6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं :–

वर्ष 2010 में इस भू उपयोग के अन्तर्गत 47 एकड़ भूमि उपयोग में आ रही है जो कुल विकसित क्षेत्र का 9.02 प्रतिशत है। वर्ष 1981 के पश्चात् कस्बे की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है परन्तु इस समय वांछित योजना मानदण्डों के अनुपात की दृष्टि से सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार एवं विकास नही होने से वर्तमान उपलब्ध सुविधाएं अपर्याप्त हैं।

2.6(6)अ शैक्षणिक सुविधाएं :–

टोडारायसिंह कस्बे में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति सन्तोषप्रद नहीं है। कस्बे में लगभग 9 प्राथमिक विद्यालय, 18 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 5 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। विद्यालयों में खेल के मैदान की कमी है। उच्च/ तकनीकी/ व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से कस्बे में महाविद्यालय, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं है। यहां पर उपलब्ध शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण तालिका – 5 में दर्शाया गया है:–

तालिका – 5

शैक्षणिक सुविधाएं, टोडारायसिंह – 2010

क्र. स.	शैक्षणिक स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थियों की संख्या	पंजीकृत विद्यार्थियों का प्रतिशत	विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	6–10	650	598	92.00	9	66
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11–13	4065	3476	85.51	18	193
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14–17	3125	2612	83.58	5	522
	योग		**7840**	**6686**	**85.28**	**32**	**209**

स्त्रोत– शिक्षा विभाग, टोडारायसिंह

2.6(6)ब चिकित्सा सुविधाएं :–

टोडारायसिंह कस्बे में एक राजकीय सामान्य चिकित्सालय एवं एक पशु चिकित्सालय चल रहा है। सामान्य चिकित्सालय में 30 शैय्या उपलब्ध हैं। राजकीय

चिकित्सालय के आसपास विभिन्न प्रकार की की जाँच व एक्सरे की सुविधाएं निजी जाँच केन्द्रों में उपलब्ध हैं। गणेश मन्दिर के समीप एक प्राइवेट क्लीनिक है। वर्ष 2010 की टोडारायसिंह की चिकित्सा सुविधाओं को तालिका – 6 में दर्शाया गया हैं:–

तालिका–6

चिकित्सा सुविधाएं, टोडारायसिंह –2010

क्र.सं.	चिकित्सालय	राजकीय	
		संख्या	शय्या
1.	सामान्य चिकित्सालय	1	30
2.	पशु चिकित्सालय	1	–
3.	नेत्र रोग चिकित्सालय	1	
योग		**3**	**30**

स्त्रोत :– चिकित्सा विभाग, टोडारायसिंह

2.6(6)स सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थल :–

टोडारायसिंह में अनेक मन्दिर, बावड़ियां, कुण्ड इत्यादि स्थित हैं। राजकीय सामान्य चिकित्सालय के समीप पुराना महल है। हाडी रानी कुण्ड सुभाष कॉलोनी के समीप स्थित है। यहां पर भोमत का बालाजी, तेजाजी, कल्याण जी, चार भुजा नाथ, भूतेश्वर जी, रामदेव जी, किलेश्वर जी के प्रसिद्ध मन्दिर है। टोडारायसिंह से बीसलपुर की पहाड़ी पर ब्रह्माणी माता, शिवशंकर मन्दिर तथा जैन मन्दिर व नसिंया स्थित है। यह पहाड़ी तक्षक गिरी के नाम से जानी जाती है। यहां के प्रसिद्ध तालाब आनासागर, बुद्ध सागर, खारोलाव व रामतलाई हैं। पुरातत्व विभाग द्धारा घोषित एतिहासिक बाग हाडी राणी के कुण्ड के चारों ओर स्थित है जिसका क्षेत्रफल लगभग 2.5 एकड़ है। जो कि किलेश्वर मन्दिर की पहाड़ी के नीचे स्थित है।

2.6(6)द अन्य सामुदायिक सुविधाएं :–

टोडारायसिंह कस्बे में 4 बैंक कार्यरत हैं, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, बैंक आफ बडौदा, राजस्थान ग्रामीण बैंक, सैन्ट्रल को–ओपरेटिव बैंक

आदि की शाखाएं हैं। कस्बे में धूमिना के पास एक उप डाकघर एवं आजाद मार्केट में एक दूर संचार कार्यालय स्थित है। कस्बे में केकड़ी रोड पर तहसील के पास एक पुलिस थाना स्थित है।

2.6(6)य जनोपयोगी सुविधाएं :–

2.6(6)य (i) जलापूर्ति :–

कस्बे में पेयजल सुविधा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा उपलब्ध करवायी जाती है। कस्बे में पेयजल आपूर्ति का मुख्य स्त्रोत बीसलपुर बांध है। कस्बे में लगभग 84 हैन्डपम्प लगे हुए हैं। 6 ओवर हैड टैंक विभिन्न स्थानों पर बने हुए हैं। प्रतिदिन कुल आपूर्ति 20 के.एल.डी. है। इस प्रकार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर की जलापूर्ति की जाती है जो मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। वर्ष 2010 में टोडारायसिंह के जलापूर्ति को तालिका–7 में दर्शाया गया हैः–

तालिका–7

जलापूर्ति, टोडारायसिंह – 2010

क्र.सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या	कुल कनेक्शनों का प्रतिशत
1.	आवासीय	3167	95.25
2.	व्यावसायिक	89	2.68
3.	राजकीय	47	1.41
4.	सार्वजनिक/अन्य	22	0.66
योग		**3325**	**100.00**

स्त्रोत :– जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, टोडारायसिंह

2.6(6)य (ii) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :–

टोडारायसिंह कस्बे में वर्तमान में सीवरेज व ड्रेनेज व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण गन्दे पानी का निस्तारण खुली नालियों द्वारा ही होता है। सेप्टिक टैंक व सोकपिट् कम हैं, अतः जलमल की निकासी भी नालियों द्वारा ही होती है। इससे वातावरण दूषित बना रहने के कारण रोगों के फैलने का खतरा बना रहता है। ठोस

कचरे की समुचित ढंग से निस्तारण की व्यवस्था नही है, इस व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

2.6(6)य (iii) विद्युत आपूर्ति :–

टोडारायसिंह कस्बे में विद्युत के रख–रखाव और विद्युत वितरण का कार्य अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा संचालित किया जाता है। विद्युत आपूर्ति कोटा थर्मल पावर प्लान्ट के माध्यम से ग्रिड सब स्टेशन को होती है। कस्बे में एक 132 के वी का ग्रिड स्टेशन विद्यमान है। वर्ष 2010 में टोडारायसिंह कस्बे में विभिन्न उपभोगों में विद्युत कनेक्शनों का विवरण तालिका– 8 में दर्शाया गया है।

तालिका–8

विद्युत आपूर्ति, टोडारायसिंह– 2010

क्र.सं.	मद	कनेक्शनों की संख्या	प्रतिशत
1.	आवासीय	2647	79.0
2.	कृषि	71	2.13
3.	सड़क रोशनी	7	0.21
4.	व्यावसायिक	555	16.59
5.	अन्य सार्वजनिक उपयोग	13	0.39
योग		**3349**	**100.00**

स्त्रोत :– विद्युत विभाग, टोडारायसिंह

2.6(6)य (iv) श्मशान एवं कब्रिस्तान :–

कस्बे में श्मशान एवं कब्रिस्तान विभिन्न स्थानों पर यथा टोंक रोड, हाजिपुरा के समीप, दादू पंथ बगीची एवं ग्रिड स्टेशन के समीप स्थित हैं।

2.6(7) परिसंचरण :–

2.6(7)अ. यातायात व्यवस्था :–

टोडारायसिंह कस्बा टोंक, जयपुर, केकड़ी आदि नगरों से सड़क मार्ग द्वारा सीधा जुड़ा हुआ है। राज्य राजमार्ग–37ए टोडारायसिंह नगर को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराता है। पुराने कस्बे की सड़कें संकरी तथा टेढ़ी–मेढ़ी हैं जिनपर अत्यधिक भीड़ रहती है। कस्बे में पार्किंग की कोई समुचित व्यवस्था नहीं होने से

वाहनों की पार्किंग छोटी बड़ी सभी सड़कों पर होती है जिससे यातायात में व्यवधान होता है।

2.6(7)ब. बस एवं ट्रक टर्मिनल :–

नगर में बस स्टैण्ड टोंक रोड पर स्थित है जो पुरानी आबादी से बाहर है परन्तु स्थान पर्याप्त नहीं होने के कारण यातायात में बाधा आती है।

कस्बे में नियोजित ट्रक टर्मिनल नहीं होने से यातायात बाधित रहता है। मण्डी क्षेत्र में भी ट्रक टर्मिनल की आवश्यकता है। कस्बे में टैक्सी स्टैण्ड का स्थान भी सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में निजी टैक्सियां व बसें सड़क किनारे ही खड़ी रहती हैं।

2.6(7)स. रेल सेवा :–

पूर्व में टोडारायसिंह मीटर गेज लाइन द्धारा जयपुर से जुडा हुआ था , परन्तु गेज परिवर्तन के पश्चात् यहां से रेलवे लाइन हटा कर रेल सेवा समाप्त कर दी गई है। यहां वर्ष 2010 से रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं है। यहां के व्यक्तियों को रेल सुविधा हेतु निवाई जाना पड़ता है।

3
नियोजन की संकल्पना

कस्बे तथा नगर का विकास एवं उसका अस्तित्व उसके ऐतिहासिक पष्ठ भूमि से ओतप्रोत होता है। वहां के रहने वाले लोगों के क्रियाकलाप, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनितिक आदि गतिविधियों का प्रभाव निरन्तर कस्बे के विकास पर बना रहता है। कस्बे/नगर की संरचना व प्रतिरूप निरन्तर परिवर्तशील है। ऐतिहासिक पष्ठ भूमि एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कस्बों/नगरों के विकास में काफी बदलाव आया है। पूर्व में जहां एक ओर सुरक्षा के कारणों से कस्बे का विकास सघन (कॉम्पैक्ट) था, वहीं आज यातायात के बढ़ते साधनों से प्रभावित होकर कस्बों में आबादी छितराए रूप में बसने् लग गई है। कस्बों में सुविधाओं की उपलब्धता के कारण गांवों से नगरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति निरन्तर बढ़ती जा रही है जिसके फलस्वरूप कस्बों पर जन सख्या का दबाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है।

टोडारायसिंह कस्बे की स्थापना भी सघन रूप में सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी। अब बाहरी इलाकों में भी अनेक विकास जैसे आवास, बाजार, खेल मैदान, विद्यालय, कार्यालय, उद्योग आदि हो गये हैं। कस्बे का नया विकास नियोजित रूप से नहीं हो पाया है। इसके फलस्वरूप अन्य नगरों की भांति यहां भी छितराए विकास, भीड भाड युक्त यातायात, असंगत उपयोग और सामुदायिक सुविधाओं का अभाव आदि अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं अतः मास्टर प्लान का उद्देश्य इन समस्याओं को न्यूनतम करना और भविष्य में यहां के नागरिकों के रहने के लिए स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करना है।

भौतिक नियोजन एक ऐसी पद्धति है, जिसके द्वारा नगर के भावी आकार, स्वरूप प्रतिरूप, विकास की दिशा आदि के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। एक बार यदि प्रत्येक नगर के सम्बन्ध में ऐसे वृहद् निर्णय कर लिए जाते हैं तो दिन–प्रतिदिन के प्रकरणों पर उचित समाधान हेतु इस सम्पूर्ण ढांचे के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक हल का क्रियान्वयन, नगर को अनेक अन्तिम लक्ष्य एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में ऐसे कदम और आगे बढ़ाता है क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्था के अन्तर्गत पृथक से न तो कोई निर्णय ही लिया जाता है और न ही किसी कार्यक्रम को एकाकी रूप में क्रियान्वित किया जा सकता है।

नियोजन की शब्दावली में इस प्रकार के समग्र ढांचे को मास्टर प्लान की संज्ञा दी जाती है, इस प्रकार एक मास्टर प्लान नगर के भावी विकास को निर्देशित करने वाली नीतियों एवं सिद्धान्तों को स्थानगत विस्तार के रूप में भाषान्तर करने की विधि है। यह वृहद् परिसंचरण व्यवस्था से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों और कार्यों के वितरण को दर्शाता है। इस दृष्टि से मास्टर प्लान नगर प्रशासन् और जनता दोनों के लिए निश्चित मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रत्येक नगर की अपनी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं जिन्हें सुरक्षित बनाए रखने की प्रबल जन आकांक्षा हो सकती है। कतिपय मान्यताएं निर्धारित कर उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करनी पड़ती है। इन्हीं उद्देश्यों के संदर्भ में नियोजन के सिद्धान्तों को निर्धारित किया जाकर मास्टर प्लान तैयार किया जाता है। टोडारायसिंह नगरीय क्षेत्र के मास्टर प्लान को बनाने की प्रक्रिया में इन सभी क्रमों की पालना की गई है।

3.1 नियोजन की नीतियां :–

अनुमान है कि आगामी दशकों में टोडारायसिंह उपखण्ड मुख्यालय एवं इस नगर के पृष्ठ क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण कस्बा होगा जिसके फलस्वरूप प्रशासन, व्यापार, वाणिज्य एवं शिक्षा और अन्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के केन्द्र के रूप में विकसित होगा। टोडारायसिंह के नगरीय क्षेत्र मे स्थित साण्डला व बगड़ी ग्रामों की विकास योजना अलग से बनाई जाएगी।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :–

टोडारायसिंह कस्बे की बढ़ती जनसंख्या व विकास की दिशा तथा भविष्य में होने वाले वाणिज्यिक एवं औद्योगिक विकास के दृष्टिगत विभिन्न भू–उपयोग के लिए समुचित भूमि का आंकलन किया जाना चाहिए ताकि इसी अनुरूप समन्वित विकास हो सके। उपरोक्त वर्णित नियोजन नीतियों की पालना हेतु नियोजन के निम्नांकित सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं :–

1. टोडारायसिंह कस्बे में स्थित रिक्त भूमि पर अतिक्रमण तथा अनियोजित विकास की प्रबल सम्भावना है अतः सम्पूर्ण क्षेत्र के एकीकृत विकास दृष्टि से एक समग्र विकास योजना तैयार की जानी चाहिए।
2. टोडारायसिंह कस्बे के मध्य भागों में भी वर्तमान में कृषि की जा रही है। इससे विकसित क्षेत्रों का आपस में लिंक नहीं हो रहा है अतः एसी भूमि का नगरीय गतिविधियों के अतर्गत उपयोग किया जाना चाहिए।

3. नये क्षेत्रों को विकसित करते समय इनके एवं नगर के पुराने क्षेत्रों के बीच भौतिक एवं सामाजिक रूप से उचित तारतम्य होना चाहिए ताकि विभिन्न गतिविधियों के बीच में अधिक सामंजस्य बना रहे।

4. भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शहर में संगठित लघु उद्योग एवं गृह उद्योगों की स्थापना हेतु प्रावधान रखा जाना चाहिए जिससे कस्बे के नागरिकों को रोजगार प्राप्त हो सके व सामान्य व्यापार व व्यवसाय में वृद्धि हो। कस्बे के समीप प्रदूषणजनित उद्योगों की स्थापना की स्वीकृति नहीं दी जानी चाहिए ताकि कस्बे के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

5. टोडारायसिंह के भीतर स्थित पुराने क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए तथा स्थानीय मांग को पूरा करने हेतु बाध्य क्षेन्न में उपयुक्त स्थलों पर वाणिज्यिक सुविधाओं की पदानुक्रम पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

6. संकरी सड़कों पर भारी यातायात को कम करने और अन्यत्र संचारित करने के लिए उपयुक्त स्थान निर्धारित कर फल सब्जी, भवन निर्माण सामग्री, लकड़ी और लोहा बाजार आदि जो अधिक यातायात को प्रोत्साहन देते हैं, उनके थोक बाजारों हेतु पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जानी चाहिए।

7. नगर में राजकीय कार्यालय, अर्द्ध–राजकीय कार्यालयों के लिए उचित स्थल का प्रावधान किया जाकर एक ही परिसर विकसित किया जाना चाहिए।

8. आवासीय घनत्व और स्वीकृत योजना मानदण्डों की पद्धति के अनुरूप सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में सामुदायिक सुविधाओं, सार्वजनिक उपयोगिताओं और सेवाओं का विवेक सम्मत वितरण किया जाना चाहिए। उक्त क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों के आधार पर नियोजित रूप में औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाना चाहिए।

9. कस्बे के लिए परिसंचरण प्रतिरूप की एक ऐसी पदानुक्रम व्यवस्था निश्चित की जाए कि जिससे विभिन्न प्रकार की सड़कों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। भू–उपयोग योजना एवं यातायात सरंचना एक दूसरे की पूरक होनी चाहिए। क्षेत्रीय यातायात को स्थानीय यातायात से मिश्रित न होने देने के लिए बाह्य व उपमार्गों का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यमान मुख्य सड़कों के यातायात दबाव को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किये जाने चाहिए तथा बस स्टैण्ड एवं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए उचित स्थल का चयन कर विकास किया जाना चाहिए।

10. कस्बे की परिधि पर किसी प्रकार के अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण क्षेत्र की सीमा के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की जानी चाहिए। परिधि नियंत्रण पट्टी के अन्दर की ग्रामीण बस्तियों के विकास को नियंत्रित एवं नियोजित किया जाना चाहिए।

11. पुरानी बावड़ियों जैसे कामोदी तालाब, राम तलाई इत्यादि का संरक्षण व विकास किया जाए पहाड़ी पर पौधारोपण किया जाना चाहिए व वन क्षेत्र को संरक्षित किया जाना चाहिए।

12. कस्बे की स्थिति के संदर्भ में टोंक, मालपुरा, जयपुर व केकड़ी को जाने वाली सड़कों को जोड़ते हुए बाईपास का प्रावधान रखा जाए जिससे इन कस्बों को जाने वाला यातायात शहर के मध्य से होकर नहीं जाएं व दुर्घटना की सम्भावना से भी बचा जा सके।

13. उक्त क्षेत्र में स्थित नदी प्राकृतिक संसाधन तालाब, नालों एवं बहाव क्षेत्र का सीमांकन कर इन्हें सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाए तथा मौके पर हो रहे अतिक्रमणों को कस्बे की सौन्दर्यता के लिए हटाया जाना चाहिए।

14. बाह्यमार्गों के सहारे पौधारोपण पट्टी हेतु प्रर्याप्त भूमि आरक्षित रखी जानी चाहिए। नगर में प्रस्तावित संस्थागत भवनों, औद्योगिक इकाइयों में भी पौधारोपण की सुनिश्चिता की जानी चाहिए।

4
भावी आकार

4.1 जनांकिकी :–

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार टोडारायसिंह की जनसंख्या 17641 थी। जो बढ़कर वर्ष 2001 में 21217 हो गई। 1991–2001 के दशक में कस्बे की जनसंख्या वृद्धि दर 20.27 प्रतिशत दर्ज की गई थी। वर्ष 2010 में इस नगर की जनसंख्या 27000 होने का आंकलन किया गया है। यह अनुमान है कि इस योजना अवधि में टोडारायसिंह का विकास त्वरित गति से होता रहेगा। क्षितिज वर्ष 2031 तक इस कस्बे की जनसंख्या 45000 हो जाने का अनुमान है। जनसंख्या वृद्धि के अनुमान लगाते समय दोनों घटक अर्थात् प्राकृतिक वृद्धि एवं आप्रवासन को ध्यान में रखा गया है। वर्ष 1901 से 2031 तक के लिए जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तिएवं अनुमान को तालिका –9 में दर्शाया गया है :–

तालिका–9

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान, टोडारायसिंह 1901–2031

कं.स.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	प्रतिशत वृद्धि दर
1.	1901	3847	–	–
2.	1911	4432	585	15.21
3.	1921	4192	(–)240	(–)5.42
4.	1931	4798	606	14.46
5.	1941	5702	904	18.84
6.	1951	7199	1497	26.25
7.	1961	9133	1934	26.86
8.	1971	10833	1700	18.61
9.	1981	13879	3046	28.12
10.	1991	17641	3762	27.11
11.	2001	21217	3576	20.27
12.	2010′	27000	5783	27.26
13.	2021′	35000	8000	29.63
14.	2031′	45000	10000	28.57

स्त्रोत :– जनगणना विभाग एवं अनुमान′

4.2 व्यावसायिक संरचना :–

वर्ष 2001 में टोडारायसिंह कस्बे में सहभागिता अनुपात 32.03 प्रतिशत था जो वर्ष 2010 में 32.77 प्रतिशत होने का आंकलन किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 में नगर की व्यावसायिक संरचना का भविष्य की आर्थिक सम्भावनाओं और भूतकालीन प्रवृत्तियों के आधार पर आंकलन कर सहभागिता का अनुपात 33 प्रतिशत तक रहने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2010 में 8847 कार्यशील व्यक्तियों की तुलना में वर्ष 2031 में 14850 कार्यशील व्यक्ति होने का अनुमान है। अन्य सेवाओं के विकास और उद्योगों के विकास के सम्मिलित प्रभाव से व्यापार और वाणिज्य इस नगर की महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं बनेगी जिससे कृषि सम्बन्धित गतिविधियों में अनुपात कम होगा। इसके अतिरिक्त टोडारायसिंह एक प्रशासनिक एवं शिक्षा का केन्द्र बना रहेगा जिससे सेवा क्षेत्र में रोजगार की अच्छी सम्भावनाएं बनेंगी। वर्ष 2031 के लिए अनुमानित व्यावसायिक संरचना को तालिका–10 में दर्शाया गया है।

तालिका–10

व्यावसायिक संरचना, टोडारायसिंह 2001–2031

क्र. सं.	व्यवसाय	आधार वर्ष		वर्तमान आंकलन		प्रस्तावित अनुमान	
		वर्ष 2001		वर्ष 2010		वर्ष 2031	
		कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत	कार्यशील व्यक्तियों की संख्या	प्रतिशत
1.	कृषि एवं खनन सम्बन्धित क्रियाएं	2380	35.02	2673	30.22	3415	23.00
2.	उद्योग	355	5.22	624	7.05	1188	8.00
3.	निर्माण	514	7.56	356	4.02	891	6.00
4.	व्यापार एवं वाणिज्य	2014	29.64	2673	30.22	4455	30.00
5.	यातायात एवं संचार	652	9.60	891	10.07	1485	10.00
6.	अन्य सेवाएं	881	12.96	1630	18.42	3416	23.00
	योग	**6796**	**100.00**	**8847**	**100.00**	**14850**	**100.00**
	सहभागिता अनुपात		**32.03**		**32.77**		**33.00**
	जनसंख्या	**21217**		**27000**		**45000**	

4.3 नगरीय क्षेत्र :–

टोडारायसिंह कस्बे का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत अधिसूचना क्रमांक पं. 10(153) नविवि/3/2010 दिनांक 26 जुलाई 2010 जारी कर टोडारायसिंह सहित 8 राजस्व ग्रामों को टोडारायसिंह के नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित करते हुए अधिसूचित किया गया है जिसका कुल क्षेत्रफल 23940 एकड़ है। इसमें नगरीयकरण योग्य क्षेत्र एवं इसके चारों ओर अनियोजित विकास को नियमित करने की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी भी प्रस्तावित की गई है। नगरीय क्षेत्र में टोडारायसिंह, सूरजपूरा, लाडपुरा, बगड़ी, ओझापुरा, बस्सी, साण्डला एवं नया वास ग्राम सम्मिलित किये गये हैं। जिसकी सूची परिशिष्ट 3 पर अंकित है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :–

वर्ष 2010 की आनुमानित जनसंख्या 27000 की तुलना में 2031 में टोडारायसिंह की जनसंख्या बढ़कर 45000 हो जाने का अनुमान है। इस प्रकार नियोजन अवधि में इस कस्बे की जनसंख्या लगभग 18000 बढ़ जाने का अनुमान है। बढ़ी हुई जनसंख्या के आवास, कार्य करने और अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिये भूमि की आवश्यकता होगी। वर्तमान प्रवृत्ति यह दर्शाती है कि भविष्य में कस्बे का विकास मुख्यतः केकड़ी एवं मालपुरा रोड़ की दिशा में होगा। टोडारायसिंह के नगरीय क्षेत्र की सम्भावित सीमाओं का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए 1590 एकड़ भूमि नगरीयकरण योग्य क्षेत्र हेतु प्रस्तावित की गई है। नगर नियोजन के वांछित मानदण्डों को ध्यान में रखकर मुख्य कार्य/उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है। यह अनुमान लगाया गया है कि सम्भावित जनसंख्या को नियोजित ढ़ंग से बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों और सामुदायिक केन्द्रों का प्रावधान करते हुए इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था से जोड़ने के लिए कुल 1500 एकड़ विकास योग्य भूमि की आवश्यकता होगी।

4.5 योजना क्षेत्र :–

नगर के सुधार एवं भावी विकास के उद्देश्य से टोडारायसिंह नगरीय क्षेत्र को तीन योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ऐसा प्रस्ताव करते समय विकास के वर्तमान प्रतिरूप, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्वरूपों, विभिन्न आर्थिक क्रियाओं की स्थिति और उनके पारस्परिक सम्बन्धों आदि तथ्यों पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है।

रोजगार, आवास, व्यवसाय, आमोद–प्रमोद तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र मे प्रत्येक योजना क्षेत्र स्वनिर्भर ईकाई के रूप में होगा। इन योजना क्षेत्रों को तालिका–11 में दर्शाया गया है।

तालिका–11

योजना क्षेत्र, टोडारायसिंह–2031

क्र. सं	योजना क्षेत्र का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित जनसंख्या
अ.	पुराना शहर योजना क्षेत्र	800	25000
ब.	स्टेडियम योजना क्षेत्र	790	20000
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**1590**	**45000**
स.	परिधि नियंत्रण पट्टी	22350	–
	अधिसूचित नगरीय क्षेत्र	**23940**	–

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र के मानचित्र में विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र, सन् 2031 के लिए प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमाओं के साथ दर्शाया गया है।

(अ) पुराना शहर योजना क्षेत्र :–

यह योजना क्षेत्र मालपुरा रोड के पूर्व का क्षेत्र है। उत्तर में प्रस्तावित बाईपास रोड़, पश्चिम में मालपुरा रोड, पूर्व में टोंक रोड व सालगिया वास रोड को जोड़ने वाली लिंक रोड व दक्षिण में मथारा डूंगर (पहाड़) के मध्य में स्थित इस योजना क्षेत्र में पुरानी आबादी का अधिकांश क्षेत्र सम्मिलित है। इस क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, वर्तमान बस स्टैण्ड इत्यादि के साथ पुरानी आबादी का क्षेत्र सम्मिलित है। यह कस्बे का पुराना अधिवास है जिसमें सघन आवास क्षेत्र है एवं खुले क्षेत्रों का अभाव है। प्रस्तावित समीपवर्ती नये क्षेत्रों में इन सुविधाओं को प्रस्तावित कर इस कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। इस क्षेत्र में स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.), उद्यान, औषधालय, महाविद्यालय, अन्य सामुदयिक सुविधाएं आदि प्रस्तावित की गई हैं। इस योजना क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 800 एकड़ है।

(ब) स्टेडियम योजना क्षेत्र :–

यह क्षेत्र पश्चिम में जयपुर रोड, पूर्व में मालपुरा रोड, उत्तर में प्रस्तावित बाईपास व दक्षिण में वन क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित है। इसमें पुरानी आबादी का आंशिक क्षेत्र सम्मिलित है। कृषि उपज मण्डी, सार्वजनिक निर्माण विभाग कार्यालय, नगर पालिका इस क्षेत्र में स्थित हैं। नये क्षेत्रों में एक स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.), महाविद्यालय, स्टेडियम, थोक व्यापार मण्डी उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्य सामुदायिक केन्द्र, उद्यान, अस्पताल, जनोपयोगी सुविधाएं इत्यादि प्रस्तावित किये गये हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 790 एकड़ है।

(स) परिधि नियंत्रण पट्टी :–

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर तथा अधिसूचित नगरीय क्षेत्र की सीमा के मध्य अनियन्त्रित विस्तार एवं अनियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियमित व नियोजित रूप से हो, इसके लिए प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, राज्य मार्ग सुविधा केन्द्र, ग्रामीण आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मौटैल, पेट्रोल पम्प, कृषि आधारित लघु उद्योग एंव गिट्टी, क्रेशर, ईंट एवं चूना भट्टा इत्यादि अनुज्ञेय होंगे। कस्बे के भावी समेकित विकास की दृष्टि से परिधि नियंत्रण पट्टी का विशेष महत्व रहेगा। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 22350 एकड़ है। अधिसूचित नगरीय क्षेन्न मे वन भूमि क्षेन्न परिधि नियंत्रण पट्टी का हिस्सा नही है ।

5
भू –उपयोग योजना

मास्टर प्लान में क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भौतिक, सामाजिक तथा आर्थिक सर्वेक्षणों द्वारा एकत्रित सूचनाओं, वर्तमान विकास की प्रवृत्ति, भौतिक अवरोध, जनसंख्या वृद्धि दर, व्यावसायिक संरचना, परिसंचरण व्यवस्था तथा भूमि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए कस्बे के भावी विकास की रूपरेखा तैयार की गई है जिसे प्रस्तावित भू–उपयोग योजना मानचित्र के रूप में रूपान्तरित किया गया है। टोडारायसिंह कस्बे के मास्टर प्लान का उद्देश्य कस्बे को सन्तुलित, एकीकृत एवं सुनियोजित विकास की दिशा प्रदान करना है। इस प्रकार भू–उपयोग योजना विशिष्ट क्रिया–कलापों के चयन और उनके चरणबद्ध विकास का एक दस्तावेज है।

प्रस्तावित भू–उपयोग योजना में विभिन्न नगरीय भू–उपयोगों हेतु उपयुक्त जनसंख्या घनत्व के मानदण्डों का आंकलन कर क्षितिज वर्ष 2031 में विभिन्न उपयोग के प्रयोजनार्थ कुल आवश्यक क्षेत्रफल आंकलित किया गया है। क्षितिज वर्ष 2031 के लिए विभिन्न भू–उपयोगों हेतु कुल 1,438 एकड़ भूमि विकास योग्य क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित की गई है। उक्त भू–उपयोग वर्ष 2031 तक प्रस्तावित विकास योग्य क्षेत्र में से 46.87 प्रतिशत आवासीय, 9.52 प्रतिशत वाणिज्यिक, 6.67 प्रतिशत औद्योगिक, 2.01 प्रतिशत राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालय, 12.16 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, 6.46 प्रतिशत आमोद–प्रमोद तथा 15.39 प्रतिशत परिसंचरण उपयोग के अन्तर्गत भूमि प्रस्तावित की गई है। विद्यमान स्थिति में कस्बे का फैलाव छितराए रूप में होने के कारण, कस्बे का घनत्व लगभग 30 व्यक्ति प्रति एकड़ आंकलित किया गया है। तालिका–12 में 2031 तक विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत प्रस्तावित भूमि का विवरण दर्शाया गया है।

तालिका–12

प्रस्तावित भू–उपयोग, टोडारायसिंह –2031

क्र. सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (एकड़ में)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	674	46.87	44.10
2.	वाणिज्यिक	137	9.52	8.96
3.	औद्योगिक	100	6.95	6.54
4.	राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय	29	2.01	1.89
6.	आमोद–प्रमोद	93	6.46	6.08
5.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	175	12.16	11.45
7.	परिसंचरण	230	15.99	15.05
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	**1,438**	**100.00**	**94.07**
8.	नदी, जलाशय, नाले व पहाड़ी	90	–	5.89
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**1,528**	**–**	**100.00**

5.1 आवासीय :–

5.1 (1) आवासीय :–

नियोजन की अवधारणा के अनुरूप प्रत्येक नगरीय ईकाई को स्वावलम्बी समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें सबसे छोटे ईकाई को भारतीय परिवेश में मौहल्ला कहा जाता है। ऐसे मौहल्लों में सामान्यतः 50–100 परिवार निवास करते हैं। इन मौहल्लों में पारिवारिक आत्मीयता, व्यक्तिगत एवं आपसी सम्बन्धों की प्रगाढ़ता बनी रहती है। कुछ मौहल्लों के समूहों को मिलाकर बनी बस्तियों को योजना ईकाई कहा जाता है, जिसकी आबादी 1000–2000 होती है। ऐसी योजना के केन्द्रीय स्थल पर प्राथमिक विद्यालय एवं वाणिज्यिक सुविधा के रूप

में छोटी दुकानें, लघु उद्यान, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध होती है। इस प्रकार से चार से पांच योजना इकाइयां मिलकर एक आवासीय योजना क्षेत्र बनता है। ऐसे प्रत्येक आवासीय योजना क्षेत्र में एक माध्यमिक विद्यालय, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, सार्वजनिक उद्यान और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान होता है। इस प्रकार टोडारायसिंह नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की 45000 जनसंख्या को दो योजना क्षेत्रों में बांटा गया है। स्थानीय स्तर की विभिन्न सुविधाएं जैसे प्राथमिक विद्यालय, औषधालय, उद्यान, खेल के मैदान, शॉपिंग सेन्टर एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं का प्रावधान, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप विस्तृत योजनाएं बनाकर किया जाएगा। टोडारायसिंह कस्बे का आवासीय घनत्व वर्ष 2031 में लगभग 63 व्यक्ति प्रति एकड़ रहने का अनुमान किया गया है।

क्षितिज वर्ष 2031 तक अनुमानित 45000 जनसंख्या के लिए भू उपयोग योजना में 674 एकड़ आवासीय भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल विकसित क्षेत्र का 46.87 प्रतिशत है। भू उपयोग योजना मानचित्र में आवासीय क्षेत्रों के समीप वाणिज्यिक/व्यावसायिक कार्य केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं। नगर के विकास की दिशा को ध्यान में रखते हुए केकड़ी रोड, खेडूलिया रोड, के उत्तर–दक्षिण दिशा में व मालपुरा रोड के पूर्व पश्चिम दिशा में आवासीय क्षेत्र एवं सुविधाएं प्रस्तावित की गई हैं। इनके पास ही राजकीय कार्यालय, चिकित्सा, शैक्षणिक, वाणिज्यिक एवं मूलभूत सामुदायिक सुविधाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। इसी प्रकार टोंक रोड के उत्तर पश्चिम व दक्षिण दिशा में भी आवासीय क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं जो इस क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों के आवास स्थल के रूप में विकसित किये जायेंगे। कृषि उपज मण्डी के समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय उपयोग प्रस्तावित किया गया है। यह प्रयास किया गया है कि कार्यस्थलों में कार्यरत लोगों को समीपस्थ क्षेत्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध हो ताकि कार्य करने के लिए अधिक दूर नहीं जाना पड़े।

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के लिये दो प्रकार के आवासीय घनत्व के क्षेत्र क्रमशः 75 व्यक्ति प्रति एकड़ से कम एवं 75 से अधिक व्यक्ति प्रति एकड प्रस्तावित किये गये हैं।

कस्बे के आवासीय क्षेत्र में चल रहे छोटे–छोटे उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इस कारण विद्यमान छोटी–छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रस्तावित भू उपयोग योजना मानचित्र में नहीं दर्शाया गया है।

आवासीय उपयोग समुदाय की एक प्राथमिक आवयकता है और इसके अंतर्गत सार्वाधिक नगरीय भूमि की आवश्यकता होती है। यह प्रस्तावित किया जाता है कि नगर पालिका, भू–उपयोग योजना के अनुसार आवासीय योजनाएं तैयार कर समाज के कमजोर वर्गो को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय संस्थानों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराए। राज्य सरकार द्वारा हाल ही में जारी राजस्थान अर्फोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी के तहत आवास निर्मित करवा कर उपलब्ध करवाएं। वर्तमान में चल रही योजनाओं के अतिरिक्त स्थानीय निकाय को भू–खण्ड विकास के कार्यक्रमों को अपने हाथ में लेना चाहिए ताकि व्यवस्थित क्रम में लोगों की आवासीय माँग को पूरा किया जा सके।

5.1 (2) इनफॉर्मल सेक्टर के लिए आवासः

नगर के पुर्नस्थापना एवं पुर्नविकास के द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में नवीनीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जायेगा। पुर्नस्थापना कार्यक्रम उन क्षेत्रों के लिये चलाया जायेगा जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है और महत्वपूर्ण स्मारकों या मानव के लिए खतरा बन सकते हैं। पुर्नविकास का कार्य उन क्षेत्रों के लिये किया जायेगा जहाँ झुग्गी–झोपड़ियाँ स्थापित हो चुकी हैं और जिन्हें हटाया जाना सम्भव नहीं है। कच्ची–बस्ती क्षेत्रों में सुधार और उनके पुर्नविकास पर विशेष ध्यान दिया जावेगा। ऐसी योजना बनाते समय यह प्रयास किया जाए कि विस्थापन कम से कम हो। ऐसी योजना में पर्यावरण सुधार एवं मूलभूत नागरिक सुविधाएं जैसे रोशनी, जलापूर्ति, सार्वजनिक शौचालय, सड़कें आदि की समुचित व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

5.2 वाणिज्यिक :–

टोडारायसिंह अपने पृष्ठ क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक और व्यापार एवं वितरण हेतु एक प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित होने की सम्भावना है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 तक कस्बे के विभिन्न वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक संस्थानों में लगभग 4455 कार्यशील व्यक्तियों अर्थात् कुल कार्यशील व्यक्तियों का 30 प्रतिशत कार्यरत रहेंगे। इन सुविधाओं का वितरण इस प्रकार किया गया है कि आवासीय क्षेत्रों से नगर केन्द्र तक आवागमन की दूरी को न्यूनतम किया जा सके। उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए पदानुक्रम रूप में वाणिज्यिक गतिविधियों को प्रस्तावित किया है।

वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित क्षेत्र 137 एकड़ है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 9.52 प्रतिशत होगा। स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र, विशिष्ट एवं थोक बाजार, गोदाम एवं भण्डारण आदि प्रस्तावित भू–उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं। विस्तृत योजना बनाते समय विभिन्न प्रकार की दुकानें, सर्विस सेन्टर इत्यादि प्रस्तावित किये जा सकेंगे। भू उपयोग योजना में 2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों का प्रावधान किया गया है। तालिका–13 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के विवरण को दर्शाया गया है।

तालिका–13

प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों का विवरण, टोडारायसिंह –2031

क्र.सं.	विवरण	क्षेत्रफल (एकड़)
1.	विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक स्थल	35
2.	स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) 1. राम तलाई के दक्षिण–पूर्व में	2
	2. पुलिस थाना के उत्तर व केकड़ी रोड के दक्षिण में	4
3.	थोक व्यापार	72
4.	भण्डारण एवं गोदाम	24
	कुल योग	**137**

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां :–

कस्बे के आन्तरिक भाग एवं प्रमुख मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियां टोडारायसिंह के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य केन्द्र है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की सम्भावना नहीं है। यह क्षेत्र पुराने शहर के मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में अपनी सतत् सेवाएं प्रदान करता रहेगा तथा कस्बे के मुख्य खुदरा व्यापार केन्द्र के रूप में यथावत बना रहेगा

कस्बे के आन्तरिक भाग में वर्तमान में कार्यरत थोक वाणिज्यिक मण्डी जैसे सब्जी मण्डी, फल मण्डी इत्यादि को मालपुरा रोड पर कृषि मण्डी प्रांगण के पश्चिम में 14 एकड़ भूमि में स्थानान्तरित किया जाना प्रस्तावित है। इसके उत्तर–पश्चिम में 24 एकड़ क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री थोक व्यापार केन्द्र भी प्रस्तावित है। यातायात की दृष्टि से कस्बे का आन्तरिक भाग व्यस्ततम क्षेत्र है तथा यहां कोई ट्रक स्टैण्ड एवं गोदाम की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। सब्जी, फल इत्यादि व्यावसायिक

गतिविधियां स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्रों में भी नियोजित तरीके से समायोजित की जाएगी। नये परिसर को सुनियोजित योजना बनाकर विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.2 (2) स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र (सी.सी.) :–

वाणिज्यिक गतिविधयों का विकेन्द्रीकरण करने एवं क्षेत्र के भविष्य की खुदरा बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 8 एकड़ भूमि पर 2 स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं। जिनमें से एक राम तलाई के दक्षिण पूर्व, दूसरा केकड़ी रोड़ के दक्षिण एवं पुलिस थाना के उत्तर में प्रस्तावित हैं, जोकि प्रस्तावित भू–उपयोग योजना मानचित्र में दर्शाये गये हैं।

उक्त प्रस्तावित, स्थानीय वाणिज्यिक केन्द्र कस्बे के विद्यमान एवं प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों की जनसंख्या को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। इसके अन्तर्गत खुदरा एवं थोक दुकानें, वाणिज्यिक कार्यालय, सामुदायिक सभागार, होटल, पेट्रोल पम्प इत्यादि की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। इससे नागरिकों को मुख्य शहरी केन्द्र में जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5.2 (3) विशिष्ट एवं थोक व्यापार :–

कस्बे में लोहा, लकड़ी एवं भवन सामग्री इत्यादि के थोक व्यापार की सम्भावित मांग को पूरा करने की दृष्टि से 24 एकड़ भूमि कृषि मण्डी के पश्चिम व बाईपास के दक्षिण में प्रस्तावित हैं साथ ही इसके दक्षिण–पूर्व में 14 एकड़ भूमि फल सब्जी मण्डी के लिए प्रस्तावित की गयी हैं। उपरोक्त दोनों गतिविधियां कृषि मण्डी प्रांगण के समीप भूमि में प्रस्तावित हैं। यह प्रस्ताव वस्तुओं के विस्तृत पैमाने पर लदान एवं भारी यातायात के सुगम संचालन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। कृषि उत्पादों के थोक व्यापार का कार्य विद्यमान कृषि मण्डी प्रांगण में यथावत जारी रहेगा। इस प्रकार इस उपयोग हेतु कुल 72 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.2 (4) भण्डारण एवं गोदाम :–

कस्बे की औद्योगिक एवं वाणिज्यिक स्तर की वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए भण्डारण एवं गोदाम हेतु उपयुक्त स्थल प्रस्तावित किये जाने चाहिए। भू–उपयोग योजना में कृषि मण्डी के पश्चिम में इसका प्रावधान किया गया है जो भण्डारण की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल 24 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.3. औद्योगिक :–

टोडारायसिंह व इसके आसपास के क्षेत्रों में पत्थर उपलब्ध होने के कारण पत्थर उद्योग स्थापित होना प्रारम्भ हो गया था। रेलवे सेवा समाप्त होने के कारण यह उद्योग वर्तमान मे विकसित नहीं हो पाया। यदि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाएं तो यह उद्योग विकसित हो सकता है। टोडारायसिंह का मुख्य व्यवसाय कृषि आधारित है। औद्योगिक विकास हेतु प्रदत्त विभिन्न सरकारी छूट एवं सुविधाएं विकसित होने के पश्चात् पत्थर, उद्योग, कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना की प्रबल सम्भावनाएं होंगी। भविष्य में विकास के दृष्टिकोण से औद्योगिक क्षेत्र टोंक रोड के दक्षिण में टोंक रोड व खारेडा रोड के बीच में प्रस्तावित किये गये हैं। औद्योगिक उपयोग हेतु लगभग 100 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

5.4 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय :–

वर्तमान स्थिति को देखते हुए ऐसा माना जा सकता है कि भविष्य में भी यह कस्बा प्रशासनिक केन्द्र बना रहेगा। अतः भू उपयोग प्रस्तावों में इन सेवाओं के लिए पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। वर्तमान में अधिकांश कार्यालय सरकारी भवनों में अलग अलग स्थलों पर कार्यरत हैं। राजकीय एवं अर्द्ध–राजकीय कार्यालयों हेतु लगभग 19 एकड़ अतिरिक्त भूमि पंचायत समिति कार्यालय के उत्तर दिशा में आरक्षित की गई है। इस प्रकार सरकारी कार्यालय एक ही स्थान पर प्रस्तावित हैं।

इस प्रकार कस्बे में योजना अवधि 2010–2031 तक विद्यमान एवं प्रस्तावित क्षेत्र दोनों को मिलाकर 29 एकड़ भूमि का प्रावधान रखा गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 2.01 प्रतिशत होगा।

5.5 आमोद–प्रमोद :–

किसी भी कस्बे में उद्यान एवं खुले स्थान पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण अंग होते हैं। टोडारायसिंह में उद्यान एवं खेल के मैदानों का अभाव है। वर्तमान में नगर पालिका के सामने स्कूल के दक्षिण में खेल का मैदान उपलब्ध है। नगर पालिका के समीप भी खुले मैदान उपलब्ध हैं। केकड़ी रोड पर दीनदयाल वाटिका व खेल का मैदान स्थित है। स्थानीय स्तर एवं नगर स्तर पर विभिन्न प्रकार की मनोरंजन सुविधाओं का प्रावधान करने हेतु उद्यान एवं खुले स्थानों का युक्ति संगत रूप से प्रावधान किया गया है। खेडूलिया रोड के उत्तर में स्टेडियम हेतु 27 एकड़ भूमि प्रस्तावित है। स्टेडियम मैदान में कस्बे में आयोजित होने वाले मेले, जैसे

दशहरा मेला, उद्योग मेला, खादी मेला, हाट बाजार तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किये जा सकेंगे। धाकड़ कॉलोनी के पश्चिम में, श्री जैन दादाबाड़ी के पश्चिम में एवं अन्य स्थानों पर उद्यान हेतु भूमि आरक्षित है।

टोडारायसिंह कस्बे में पुरानी बावड़ी व तालाब स्थित हैं। हाडारानी कुण्ड, नृसिंह मन्दिर के पास बावड़ी, कामोदी तालाब, रामतलाई, आस सागर, बुद्धसागर इत्यादि का संरक्षण व विकास किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे में स्थित विभिन्न पहाड़ियों पर पर्यावरण के संदर्भ में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। एक अर्द्ध–सार्वजनिक मनोरंजन केन्द्र हेतु लगभग 2 एकड़ भूमि रामतलाई के उत्तर में प्रस्तावित की गई है।

इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थलों पर उद्यान हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। विस्तृत आवासीय योजनाएं तैयार करते समय उनमें अन्य स्थानीय स्तर के उद्यानों के लिए उचित प्रावधान रखा जाएगा। इस उपयोग के अन्तर्गत कुल विकसित क्षेत्र का 6.20 प्रतिशत, जोकि 93 एकड़ क्षेत्र है, का प्रावधान किया गया है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं :–

कस्बे का एकीकृत विकास करने के लिए शैक्षणिक, चिकित्सा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्रों तथा धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक सेवाओं जैसी सामुदायिक सुविधाओं के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाना आवश्यक है। इन सुविधाओं हेतु स्थलों का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों का वितरण, क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकताओं और भविष्य में विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। इस भू–उपयोग हेतु 183 एकड़ भूमि के प्रस्ताव रखे गये हैं जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का लगभग 12.20 प्रतिशत है।

5.6(1) शैक्षणिक सुविधाएं :–

टोडारायसिंह कस्बे में शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति संतोषप्रद नही है। वर्तमान में यहां कोई महाविद्यालय अथवा उच्च शिक्षा के लिए संस्थान उपलब्ध नहीं है। भविष्य में शैक्षणिक सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रस्तावित स्टेडियम के पूर्व में 14 एकड़ भूमि व रामतलाई के दक्षिण में एवं 6 एकड़ भूमि महाविद्यालय हेतु प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित स्टेडियम के उत्तर में 30 एकड़ भूमि व्यावसायिक संस्थान हेतु प्रावधानित है। इसके अतिरिक्त उच्च माध्यमिक विद्यालय हेतु भी 6 स्थलों पर भूमि प्रस्तावित की गई है। टोडारायसिंह कस्बे में वर्ष 2031 के लिए अनुमानित 45000 जनसंख्या के लिए आवश्यक प्राथमिक, उच्च

प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या आंकलित की गई है। इस उपयोग में कुल 77 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। वर्ष 2031 की अनुमानित शैक्षणिक संरचना को तालिका– 14 में दर्शाया गया है।

तालिका–14

अनुमानित शैक्षणिक संरचना, टोडारायसिंह –2031

क्र. स.	विद्यालय / स्तर	आयु वर्ग	विद्यालय जाने योग्य विद्यार्थियों की अनुमानित संख्या	अनुमानित विद्यालयों की संख्या	विद्यार्थियों की औसत संख्या
1.	प्राथमिक विद्यालय	5–10	5486	17	323
2.	उच्च प्राथमिक विद्यालय	11–13	5029	12	419
3.	माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय	14–17	4985	11	453
	योग		**15500**	**40**	**388**

5.6(2) चिकित्सा सुविधाएं :–

टोडारायसिंह कस्बे में चिकित्सा सेवाओं का अभाव है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मस्जिद के पास स्थित है। इसमें 30 शय्या की सुविधा है। पशु चिकित्सालय दिक्षितान मौहल्ला में स्थित है। कस्बे की अनुमानित जनसंख्या एवं कस्बे की स्थिति के संदर्भ में एक सामान्य चिकित्सालय, प्रस्तावित राजकीय कार्यालय परिसर के उत्तर–पूर्व में प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए 10 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है। नगर के विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार औषधालय हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है। पशु चिकित्सालय के लिए 7 एकड़ भूमि जयपुर रोड व बाईपास के मध्य प्रस्तावित है।

5.6(3) सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक स्थल :–

टोडारायसिंह में अनेक मन्दिर, बावड़िया, कुण्ड इत्यादि स्थित हैं। राजकीय चिकित्सालय के समीप पुराना महल है। हाडी रानी कुण्ड सुभाष कॉलोनी के समीप स्थित है। भोमत का बालाजी, तेजाजी का मन्दिर, कल्याण जी का मन्दिर, चार भुजा

नाथ का मन्दिर, भूतेश्वर का मन्दिर, रामदेव जी का मन्दिर, किलेश्वर मन्दिर इत्यादि प्रसिद्ध मन्दिर हैं। टोडारायसिंह से बीसलपुर तक की पहाड़ी पर ब्रह्माणी माता, शिवशंकर मन्दिर तथा जैन मन्दिर नसिंया स्थित है। यह पहाड़ी तक्षक गिरी के नाम से जानी जाती है। प्रसिद्ध तालाब आनासागर, बुद्ध सागर, खारोलाव व रामतलाई है। पुरातत्व विभाग से घोषित बाग हाडी रानी के कुण्ड के चारों ओर स्थित है जिसका क्षेत्रफल लगभग 5 एकड़ है। किला, किलेश्वर मन्दिर की पहाड़ी के नीचे स्थित है। उपरोक्त ऐतिहासिक एवं धार्मिक धरोहर स्थानों को संरक्षित किया जाना एवं इनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है। पहाड़ी पर पर्यावरण सुधार के अन्तर्गत पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(4) अन्य सामुदायिक सुविधाएं :–

कस्बे में पुलिस स्टेशन, दूरभाष केन्द्र, डाकघर, अग्निशमन केन्द्र, धर्मशाला आदि सुविधाओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भूमि प्रस्तावित की गई है। अन्य स्थानों पर प्रस्तावित व उपलब्ध भूमि के साथ इन सुविधाओं के लिए कुल 22 एकड़ भूमि प्रस्तावित की गई है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए रंगमच, पुस्तकालय, तरणताल, सामुदायिक केन्द्र आदि मनोरंजन की सुविधाओं का प्रावधान विकास योजना का अभिन्न अंग है। इन सुविधाओं की शिक्षा व खेलकूद में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। आवासीय क्षेत्रों का वितरण, विकास के घनत्व, क्षेत्र की स्थानीय विशेषताओं और भविष्य के विकास की सम्भवनाओं आदि को दृष्टिगत रखते हुए इन हेतु स्थल प्रस्तावित किये जाएंगे।

सामाजिक व सांस्कृतिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के लिए मास्टर प्लान क्रियान्वयन के समय सेक्टर प्लान बनाते समय प्रत्येक आवासीय क्षेत्र में प्रस्तावित सामुदायिक केन्द्र में इन सामाजिक/सांस्कृतिक भवनों के लिए पर्याप्त भूमि हेतु प्रावधान रखे जाएंगे जिससे इन स्थलों में विभिन्न समुदायों के लिए धर्मशाला, सूचना केन्द्र, सामुदायिक भवन, रंगमच आदि सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाओं हेतु पर्याप्त स्थल उपलब्ध हो सकेगा।

5.6(5) जनोपयोगी सुविधाएं :–

पेयजल की आपूर्ति, जल–मल निकास व्यवस्था और विद्युत व्यवस्था नगरीय जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। नगर की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणे इन सेवाओं पर अत्यधिक भार बढ़ गया है। यह आवश्यक है कि इन

समस्याओं के हल करने की दिशा में तुरन्त ध्यान दिया जाए। जनोपयोगी सुविधाओं के लिए 15 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गई है जो कि प्रस्तावित भू–उपयोग मानचित्र में दर्शायी गई है।

5.6(5) अ. जलापूर्ति :–

वर्तमान में उपलब्ध जल संचय क्षमता और सभी उपलब्ध पेयजल स्त्रोतों तथा जल वितरण व्यवस्था का उनकी पूर्ण क्षमता में उपयोग किया जाना तथा भविष्य में बढ़ने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप इनमें अभिवृद्धि किये जाने की भी आवश्यकता है। पेयजल की अतिरिक्त आवश्यकताओं को अतिरिक्त ट्यूबवैलों एवं जलाशयों के निर्माण द्वारा और वितरण व्यवस्था में सुधार कर पूरा किया जाना प्रस्तावित है। जहां कहीं भी सम्भावनाएं विद्यमान हों, वहां वर्तमान में उपलब्ध व्यवस्था का विस्तार किया जा सकता है। कस्बे की पेयजल की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करने के लिए जल आपूर्ति में वृद्धि करनी होगी। यह सुझाव दिया जाता है कि भावी जनसंख्या की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति बढाने के उद्देश्य से जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एक विस्तृत योजना तैयार करे। इस प्रयोजन के लिए नगर के विभिन्न भागों में स्थल प्रस्तावित किये गये हैं।

5.6(5) ब. जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन :–

शहर में जल मल निस्तारण प्रणाली की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में नालियों का निर्माण भी टुकड़ों में करवाया जाता है। जिससे सुव्यवस्थित रूप से पानी की निकासी नहीं हो रही है। नालियों पर अतिक्रमण भी पानी की निकासी के बाधक है। शहर के गन्दे पानी के निकास व नालियों के निर्माण की कोई नियमित योजना नहीं बनी हुई है। शहर में खुली नालियां होने से गन्दा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे वातावरण और आवागमन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है अतः जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा स्थानीय नगर पालिका एवं अन्य सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर सम्पूर्ण टोडारायसिंह नगरीय क्षेत्र के लिए एक एकीकृत जल एवं मल निकास योजना तैयार किया जाना प्रस्तावित है। ऐसी योजना शहर की आकृति, बसावट एवं ढलान तथा विभिन्न दिशाओं के विकास स्तरों को ध्यान में रख कर तैयार की जानी चाहिए। कूड़े करकट और गन्दगी के ढेरों को ठीक प्रकार से साफ कराने की व्यवस्था के साथ–साथ स्वस्थ वातावरण और रहने की जगह को स्वच्छ रखने का कार्य होना आवश्यक है। इस गन्दगी और कूड़ा करकट के निस्तारण की जगह शहर से दूर होनी चाहिए। स्थानीय नगरपालिका द्वारा संरक्षित वन क्षेत्र, तालाबों आदि पर्यावरण

मानकों को ध्यान में रखते हुए परिधि नियंत्रण पट्टी में उपयुक्त स्थल का चयन कर सुव्यवस्थित कचरा निस्तारण स्थल विकसित किया जाना चाहिए। पुनर्चक्रण किये जा सकने योग्य कचरे को पृथक कर इसका पुनः उपयोग करने हेतु भी प्रयास किया जाना चाहिए। नगरपालिका प्रशासन् द्वारा शहर की सड़को पर से गन्दगी के ढेरों को साफ करने के लिए तकनीकी यन्त्रों को क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

5.6(5)स. विद्युत आपूर्ति :–

कस्बे की जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में वृद्धि होने के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत की मांग भी बढ़ेगी। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड इस कस्बे को उपयुक्त मात्रा में बिजली उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे ताकि इसकी भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ नगर के विभिन्न भागों में भूमि/स्थल आरक्षित किये गये हैं जिनका आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जा सकेगा।

5.6(6) श्मशान एवं कब्रिस्तान :–

वर्तमान स्थित श्मशान एवं कब्रिस्तान को यथावत रखा गया है। इन श्मशानों एवं कब्रिस्तानों के चारों ओर सघन पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। कस्बे की बढ़ती हुई जनसंख्या एवं भावी विकास को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थल का चयन किया जा सकता है।

5.7 परिसंचरण :–

यह कस्बा अपने पृष्ट क्षेत्र के लिए एक सेवा केन्द्र के रूप में कार्यरत रहेगा और यहां पर उद्योग, व्यापार एवं व्यवसाय जैसी आर्थिक क्रियाएं विकसित हो जाएगी। कस्बे तथा अपने पृष्ट प्रदेश से वस्तुओं तथा यात्रियों के लिए परिवहन एवं आवागमन हेतु एक कुशल पदानुक्रम मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता है।

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :–

कस्बे की यातायात व्यवस्था के सुगमता से संचालन हेतु विभिन्न स्तर के मार्गों का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित रिंग रोड पर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर 15 मीटर चौड़ी पौधारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार को तालिका –15 में तथा विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार को तालिका–16 में दर्शाया गया है–

तालिका–15

प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, टोडारायसिंह–2031

क्र. सं.	प्रस्तावित सड़क का विवरण	प्रस्तावित मार्गाधिकार (मीटर में)
1.	राज्य राजमार्ग / बाह्य मार्ग State Highway / By Pass Road	60 मीटर (200 फीट)
2.	मुद्रिका मार्ग Ring Road	36 मीटर (120 फीट)
3.	प्रमुख सड़कें Arterial Roads	30 मीटर (100 फीट)
4.	उपप्रमुख सड़कें Sub Arterial Roads	24 मीटर (80 फीट)
5.	मुख्य सड़कें Major Roads	18 मीटर (60 फीट)

तालिका –16

विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क मार्गाधिकार, टोडारायसिंह –2031

क्र. सं.	विद्यमान एवं प्रस्तावित सड़क का विवरण	सड़क की चौड़ाई मीटर में
1.	बाईपास चौराहा से टोंक रोड (राजमार्ग 37ए)	60
2.	टोंक रोड से मालपुरा रोड तक प्रस्तावित बाईपास	60
3.	बाईपास जंक्शन से मालपुरा रोड (राजमार्ग 37ए)	60
4.	विद्यमान जयपुर रोड	36
5.	मालपुरा रोड से जयपुर रोड तक प्रस्तावित रोड	36
6	डाकघर से बाईपास तक विद्यमान मालपुरा रोड	30
7	जमा मस्जिद के पास तिराहे से बाईपास तक विद्यमान टोंक रोड	30

8	डाकघर से जामा मस्जिद के पास तिराहे तक विद्यमान रोड	30
9	पीर बाबा तिराहे से सालगिया वास जाने वाली विद्यमान सड़क	30
10	औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में प्रस्तावित रोड	24
11	नेहरू कॉलोनी स्कूल के समीप मालपुरा रोड से जयपुर रोड तक प्रस्तावित सड़क	24
12	मालपुरा रोड से मण्डी क्षेत्र के दक्षिण में जयपुर रोड तक प्रस्तावित सड़क	24
13	श्री जैन दादाबाड़ी के उत्तर में प्रस्तावित रोड से बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	24
14	पंचायत समिति कार्यालय के पास प्रस्तावित स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र (सी.सी.) चौराहा से उत्तर दिशा में मण्डी के दक्षिण दिशा में प्रस्तावित रोड तक प्रस्तावित सड़क	24
15	पंचायत समिति कार्यालय के पास प्रस्तावित स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र (सी.सी.) चौराहा से दक्षिण दिशा में सूरजपुरा प्लांट को जाने वाली सड़क तक प्रस्तावित सड़क	24
16	तेजाजी चौराहा से केकड़ी रोड एवं जयपुर रोड के तिराहे तक विद्यमान सड़क	18
17	डाकघर तिराहे से, दशहरा मैदान तक विद्यमान सड़क	18
18	दशहरा मैदान तिराहे से सूरजपुरा प्लांट को जाने वाली विद्यमान सड़क	18
19	पीर बाबा तिराहे उत्तर दिशा में बाईपास तक प्रस्तावित सड़क	18
20	कामोदी तालाब के उत्तर में प्रस्तावित सड़क	18
21	पीर बाबा तिराहे से उत्तर दिशा में बाईपास तक प्रस्तावित सड़क व टोंक रोड को मिलाने वाली प्रस्तावित लिंक रोड	18
22	औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में स्कूल के समीप से खारेडा जाने वाली विद्यमान सड़क	18

5.7(1) अ. सड़कों का सुधार :–

कस्बे की यातायात व्यवस्था का सुगम संचालन होना अति आवश्यक है। वर्तमान में टोंक, मालपुरा, जयपुर, केकड़ी से आने व जाने वाला यातायात शहर के मध्य से गुजरता है यद्यपि बस स्टैण्ड मालपुरा रोड पर शहर से बाहर है परन्तु विभिन्न दिशाओं से बसें भी शहर के मध्य होकर गुजरती हैं जिसके कारण यातायात सुगम नहीं रहता है। सुगम संचालन हेतु विभिन्न स्तर के विद्यमान एवं प्रस्तावित मार्गों का मार्गाधिकार विवरण तालिका –16 में दर्शाया गया है।

5.7(1) ब. प्रस्तावित चौराहा एवं चौराहा सुधार :–

कस्बे में विद्यमान मुख्य चौराहों का यथा सम्भव सुधार किया जाना प्रस्तावित है। भू–उपयोग योजना में निम्नलिखित चौराहों का विकास प्रस्तावित है :–

तालिका–17

प्रस्तावित प्रमुख चौराहा विकास, टोडारायसिंह–2031

क्र.सं.	चौराहा
1.	टोंक रोड (राजमार्ग) व बाईपास चौराहा
2.	मालपुरा रोड (राजमार्ग) व बाईपास चौराहा
3.	जयपुर रोड व खेडूलिया रोड चौराहा
4.	प्रस्तावित राजकीय कार्यालय परिसर के उत्तर में प्रस्तावित सड़क व केकड़ी रोड के दक्षिण में प्रस्तावित सी.सी. से मण्डी के दक्षिण में प्रस्तावित सड़क का चौराहा
5.	केकड़ी रोड पर प्रस्तावित सी.सी. के उत्तर–पश्चिम में चौराहा
6.	प्रस्तावित फल सब्जी के पश्चिम व दक्षिण दिशा में प्रस्तावित सड़कों का चौराहा
7.	औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व दिशा में प्रस्तावित सड़क व विद्यमान खारेरा रोड का चौराहा
8.	औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व दिशा में प्रस्तावित सड़क व सालगियावास रोड व भोटूण्डा रोड का चौराहा

5.7(1) स. पार्किंग व्यवस्था :–

वाणिज्यिक क्षेत्रों, प्रमुख व्यापारिक संस्थानों, बैंक, सार्वजनिक स्थलों आदि में पार्किंग व्यवस्था सुधार प्रस्तावित है। नवीन विकसित क्षेत्रों के योजना प्लान बनाते समय पार्किंग की समुचित व्यवस्था की जायेगी जिससे यातायात के सुगम संचालन में बाधा उत्पन्न नहीं हो। शहर में स्थित पुराने बस स्टैण्ड की भूमि पार्किंग उपयोग के लिए विकसित किया जाना प्रस्तावित है।

5.7(2) बस एवं ट्रक टर्मिनल :–

टोडारायसिंह कस्बे में यात्रियों की सुविधा के लिए वर्तमान में मालपुरा रोड पर लगभग 4 एकड़ भूमि पर नवीन बस स्टैण्ड निर्मित है, परन्तु इसका विकास आधुनिक रूप में नही किया गया है। इसका विकास आधुनिक सुविधाओं के साथ किया जाना प्रस्तावित है। निजी बस स्टैण्ड व टैक्सी की पार्किंग की व्यवस्था भी इसी क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है। परिवहन सुविधा की दृष्टि से औद्योगिक क्षेत्र के दक्षिण में 8 एकड़ भूमि पर ट्रक टर्मिनल प्रस्तावित किया गया है जो प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के समीप होने से वस्तुओं के लदान की दृष्टि से उपयुक्त स्थल है। एक अन्य ट्रक टर्मिनल लगभग 15 एकड़ क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी के पश्चिम में बाईपास के दक्षिण में प्रस्तावित है यह प्रस्तावित भण्डारण एवं गोदाम, थोक मण्डी के समीप होने से उपयुक्त स्थल है। ट्रक स्टैण्ड में मरम्मत की दुकानें, ऑटोमोबाइल दुकानें, वाहन पार्किंग स्थल, बैंक, पेट्रोल पम्प, सर्विस स्टेशन आदि सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

5.8. परिधि नियंत्रण पट्टी :–

नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर अनियन्त्रित एवं अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका उद्देश्य प्रस्तावित नगरीय विकास को नियोजित बनाये रखना है। परिधि नियंत्रण पट्टी में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास नियंत्रित एवं नियोजित रूप से हो, इसके लिये प्रयास किये जाने आवश्यक हैं। ग्रामीण बस्तियों का विकास सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा अपने नियंत्रण एवं अधिकार क्षेत्र में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 142 के अन्तर्गत किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी/क्षेत्र में कृषि सेवा केन्द्र, हाइवे सुविधा केन्द्र, ग्रामीण

आबादी विस्तार, डेयरी एवं अवशीतन केन्द्र, पौधशालाएं, रिसोर्ट, फार्म हाउस, मौटैल, पैट्रोलपम्प वाटर पार्क, एम्यूजमेन्ट पार्क, दुग्धशाला, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन तथा अन्य प्राथमिक लघु उद्योग जैसे क्रेशर, ईट व चूना भट्टा, चमड़ा उद्योग इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

5.9 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण :–

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक संवेदनशील बिन्दू है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो रही है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अन्धाधुन्ध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू–जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्डार है। अतएव पर्यावरण सन्तुलन की दृष्टि से राजमार्ग व बाईपास के सहारे 100 फीट चौड़ी व जयपुर रोड व औद्योगिक क्षेत्र के पूर्व में प्रस्तावित रोड़ के सहारे 50 फीट चौड़ी पौधारोपण के लिए पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त के अलावा प्रमुख सड़कों के सहारे भी पौधारोपण की कार्यवाही की जाएगी। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान भूमि, ओरण, गोचर, वन भूमि, आदि क्षेत्रों में पौधारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए सम्बन्धित प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह–भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

पानी के स्त्रोत सीमित है। बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंडों, कुंओं आदि जल स्त्रोतों का संरक्षण वर्षा जल पुनर्भरण एवं पानी की पुनर्चक्रण से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। सभी सार्वजनिक अर्द्ध–सार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनर्भरण संरचना का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है। गंदे पानी को वैज्ञानिक तरीकों से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग–बगीचों में उपयोग लिया जाना चाहिए। उपरोक्त हेतु स्थानीय निकाय द्वारा विशेष प्रयास किये जाने चाहिए।

6
मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

मास्टर प्लान किसी नगर के विकास के सम्भावित अवसरों का चित्रण मात्र है और इसे तभी मूर्त रूप प्रदान किया जा सकता है जब इनका क्रियान्वयन करने के लिए शक्तिशाली कदम निर्धारित समय में उठाये जाएं। टोडारायसिंह का मास्टर प्लान तैयार करते वक्त एक विवेक–सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है। वर्तमान् उपयोगों का कम से कम स्थान परिवर्तन का लक्ष्य रखा गया है। सामान्य स्तर की सुविधाएं और सेवाओं को उच्च स्तर प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। नगर में अच्छी सामुदायिक सुविधाएं विकसित करने एवं सार्वजनिक सुविधाओं में वृद्धि करने और टोडारायसिंह को आवास एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से स्वास्थ्यकर स्थान बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

टोडारायसिंह कस्बे के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाए। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरूप तकनीकी मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 वर्तमान आधार :

विद्यमान् स्थानीय निकाय, टोडारायसिंह, नगर पालिका का गठन राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। यह अधिनियम स्थानीय निकाय को उतने समुचित अधिकार प्रदान नहीं करता है, जितने कि सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र में विकास कार्यों को प्रभावपूर्ण तरीके से नियोजित किया जा सके। नगर में अन्य कई सार्वजनिक संस्थाएं भी कार्यरत् हैं, जो अपने–अपने कार्यक्षेत्रों में निर्धारित नियमों, विनियमों एवं मानकों के अनुसार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करती हैं।

6.2 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रति नगरपालिका टोडारायसिंह को भेजी जाएगी। इस प्रकार नगरपालिका, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी कि टोडारायसिंह के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जाएंगे।

इस सार्वजनिक सूचना की प्रतिलिपि नगरपालिका टोडारायसिंह द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार के समस्त विभागीय कार्यालयों को सूचनार्थ भेजी जाएगी। अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, नगरपालिका टोडारायसिंह में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका टोडारायसिंह से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपालिका टोडारायसिंह मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल–मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजना सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार किये जाने प्रस्तावित हैं।

नगरपालिका मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाएं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपालिका टोडारायसिंह का रहेगा जबकि क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है। इस समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर, सदस्य अधिशासी अभियन्ता, स्थानीय निकाय, अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड तथा अधिशासी अधिकारी नगरपालिका टोडारायसिंह होंगे, जबकि इसके सदस्य सचिव सम्बन्धित उप नगर नियोजक होंगे। इस निगरानी समिति को अधिकार होगा कि वे समिति के विस्तार हेतु विषय विशेषज्ञों को सहवरित सदस्य के रूप में मनोनीत कर सकेंगे। उक्त समिति की कम से कम तीन माह में एक बैठक आयोजित की जाएगी। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव के अतिरिक्त दो सदस्यों की उपस्थिति बैठक हेतु

अनिवार्य होगी। उक्त समिति द्वारा वर्ष में एक बार मास्टर प्लान के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट सरकार के नगरीय विकास विभाग को भिजवाई जाएगी।

दीर्घकालीन योजना की सफलता के लिए योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन दोनों ही स्तर पर समन्वय का विशेष महत्व है। स्थानीय निकाय के पास पर्याप्त अधिकारी, समुचित वित्तीय संसाधन और तकनीकी ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि यह एक विकास एवं समन्वय संगठन के रूप में अपने कर्तव्यों का निष्पादन कर सके। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि स्थानीय निकाय को तकनीकी रुप से सृदृढकिया जायें और समुचित अधिकार दिये जाएं। सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र की योजना और विकास कार्यों पर इसका नियंत्रण हो। इस दृष्टि से आवश्यक कानूनी तथा प्रशासनिक उपाय निदेशक/आयुक्त स्थानीय निकाय विभाग के स्तर पर करने होंगे।

6.3 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरूकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे।

6.4 भू–उपयोग अंकन एवं भूमि अवाप्ति :

मास्टर प्लान मे क्षैतिज वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू–उपयोगों को विकास की दिशा, भौतिक अवरोध एवं खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को ध्यान मे रखते हुये तैयार किया गया है।

'मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व मे जारी की गई स्वीकृतियां/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिये तैयार की गई योजना–2031 मे समायोजित किये जाने का पूर्ण प्रयास किया गया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व मे जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90–बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमन, भू–उपयोग परिर्वतन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नही हो पाया हो तो उन्हे समायोजित माना जावेगा।'

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालों, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हों। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा–शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत् भूमि अवाप्त की जाए, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.5 योजना का क्रियान्वयन :

टोडारायसिंह कस्बे के मास्टर प्लान में कस्बे के भावी नियोजित विकास हेतु आगामी वर्ष 2031 तक के लिए विभिन्न क्रियाकलापों हेतु प्रस्ताव रखे गये हैं। मास्टर प्लान की क्रियान्विति समयबद्ध, चरणबद्ध एवं उपलब्ध संसाधनों व तत्कालीन आवश्यकता के दृष्टिगत स्थानीय निकाय पंचवर्षीय योजना बनाकर उसकी सफल क्रियान्विति करें। इस प्रकार स्थानीय निकाय आगामी वर्षों के लिए विभिन्न चरणों में विकास के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर एक कार्यकारी योजना तैयार करेगी तथा मास्टर प्लान की अनुवर्ती योजना के क्रम में विस्तृत योजना प्लान तैयार करवायेगी इस प्रकार विभिन्न चरणों में आवासीय, परिवहन, वाणिज्यिक व अन्य सुविधाओं आदि का विकास करवायेगी।

6.6 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाए। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते हैं। टोडारायसिंह का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएं विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और टोडारायसिंह को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

परिशिष्ट–1

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम,1959
अध्याय द्वितीय
मास्टर प्लान

3– राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्तिः

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त कर, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जाएगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4– मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चित किये जाएंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाए तथा वह रीति उपदर्शित की जाएगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें विभिन्न जोन की सुधार योजनाएं तैयार की जाए और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5– अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी, शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने के पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमो द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आंमत्रित किये जाएंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी, जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बन्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार, या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान के प्रवर्तन की तारीख :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बताते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बताते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तिथि से प्रवर्तन में आ जाएगा।

राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F. 4 (32) LSG/A/59 dated 02.04.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 08.06.1962 page 118.]

In exercise of the power conferrd by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959)] the State Government hereby makes the following Rules, namely:-

RULES

1. Short title and Commencement:-

(1) These may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. Definitions:- In these rules, unless the subject or context otherwise requires:-

(1) "Act" means The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959).

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expressions used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of publication of Draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (1):-

[1]["(1) The Draft Master Plan prepared by the Officer or the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form 'A' in the official Gazette and in atleast two popular daily newspapers having circulation in the area invition suggestions and objection from every person with respect of the Draft Master Plan within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section under section 3 of the said Act is satisfied that response to the Draft Master Plan has been inadequate, this period may be extended further for a Maximum period of 30 days for enabling more persons to file their objections/suggestions with respect to the draft of the Master Plan][2].

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by the Officer or the Authority to each of the Local Body operating the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following Maps, Plans and Documents, namely:-

a. Town Map showing General Layout of the roads and streets in the Town.

b. Base map showing the General existing land use pattern, such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

c. Draft Master Plan showing broadly the proposed land use pattern in the urban area such as Residential, Commercial, Industrial, Public and Semi-Public uses etc.

d. Written analysis and written statement to support the proposals.

e. Any other maps, plans or matter which the Officer or the Authority deem fit or the State Government may direct the Officer or the Authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6:-

[1][(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the Authority appointed under Section3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3 of the Act finalise the Master Plan and submit the same [2][if constituted] to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."]

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : एफ10(153)नविवि/3/10 दिनांक : 26.07.2010

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अर्न्तगत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर को टोडारायसिह (जिला टोंक) के नगरीय क्षैत्र जिसमे निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है, का सिविक सर्वे एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार करने हेतु नियुक्त करती है :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	
	ENGLISH	**हिन्दी**
1	Todaraisingh	टोडारायसिंह
2	Surajpura	सूरजपुरा
3	Ladpura	लाडपुरा
4	Bagri	बगड़ी
5	Ojhapura	ओझापुरा
6	Bassi	बस्सी
7	Sandla	साण्डला
8	Nayabas	नयाबास

राज्य पाल की आज्ञा से
ह0/–
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव–प्रथम

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

परिशिष्ट–4

क्रमाक : प. 10(153)नविवि/3/2010 जयपुर, दिनांक : 19.10.2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत ये नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 26.07.2010 के द्वारा यथा अधिसूचित ''टोडारायसिंग'' (जिला टोंक) के नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

मेडतासिटी मास्टर प्लान, 2031 की प्रति का निरीक्षण नगर पालिका, टोडारायसिंह के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्य पाल की आज्ञा से
ह0/–
(पुरूषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को मय सीडी भेजकर लेख है कि अधिूसचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियेाजक(पूर्व) राजस्थान, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियेाजक, अजमेर जोन, अजमेर।
6. जिला कलक्टर, टोंक।
7. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, टोडारायसिंह जिला–टोंक।
8. रक्षित पत्रावली।

ह0/–
(प्रदीप कपूर)
उप नगर नियोजक